सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

(संस्कृत शिक्षा विभाग)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा – 4(1) (ख) के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल संख्या 1 से 17 (संशोधित)

वर्ष 2026–27

कार्यालय :– उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवन, रानीपुरझाल, पोस्ट ऑफिस– ज्वालापुर, जनपद– हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन– 249407

वेबसाइट– www.uksa.uk.gov.in

ई–मेल :– uksa2002@gmail.com, office-uksa@ukgovernment.in

दूरभाष :– 7906725688, 9720438344

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	अधिनियम की धारा	पृष्ठ संख्या
1.	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	4(1)(ख)(i)	4
2.	संस्थानम् के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	4(1)(ख)(ii)	5
3.	विनिश्चय करने व कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख और उत्तरदायित्व	4(1)(ख)(iii)	5
4.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	4(1)(ख)(iv)	5
5.	संस्थानम् द्वारा या लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन धारित या संस्थानम् के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेशन, निर्देशिका और अभिलेख	4(1)(ख)(v)	5-6
6.	ऐसे अभिलेख जो संस्थानम् द्वारा धारित उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण	4(1)(ख)(vi)	6
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है का विवरण	4(1)(ख)(vii)	6
8.	ऐसी समितियों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी का विवरण	4(1)(ख)(viii)	6
9.	संस्थानम् में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	4(1)(ख)(ix)	7
10.	संस्थानम् के प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	4(1)(ख)(x)	7

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल, हरिद्वार

11.	संस्थानम् की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये संस्थानम् के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	4(1)(ख)(xi)	8
12.	अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, आवंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे	4(1)(ख)(xii)	8
13.	संस्थानम् द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	4(1)(ख)(xiii)	8
14	इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध या धारित सूचनाएं	4(1)(ख)(xiv)	8
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	4(1)(ख)(xv)	9
16.	लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	4(1)(ख)(xvi)	9
17.	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	4(1)(ख)(xvii)	9-52
		संस्थानम् स्थापना का शासनादेश संख्या 1217 दिनांक 12.12.2002	
		संस्थानम् स्थापना का शासनादेश संख्या 1249 दिनांक 20.12.2002	
		संस्थानम् भूमि आवंटन आदेश संख्या 1180	
		संस्थानम् की 40वीं कार्यकारिणी बैठक का कार्यवृत्त	
		संस्थानम् की द्वितीय शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त	
		संस्थानम् का वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय	

धारा– 4(1)(ख)(i)

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

संस्थानम् का परिचय

विश्वभर में उपलब्ध संस्कृत अभिलेखों को एकत्रित कर पुस्तकालय/अभिलेखागार बनाने, संस्कृत साहित्य के परिवर्धन एवं शोध को प्रोत्साहन दिये जाने, संस्कृत के ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रकाशन किये जाने, संस्कृतभाषा के पाठ्यक्रमों का सरल, सचित्र एवं बोधगम्य निर्धारण कर अध्ययन को रुचिकर बनाये जाने, संस्कृत के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि आयोजन किये जाने, संस्कृत के विद्वानों एवं साहित्यकारों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु आर्थिक सहायता, सुविधाऐं एवं फैलोशिप्, छात्रवृत्ति एवं अन्य गतिविधियां किये जाने तथा संस्कृत की विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य व आधुनिकतम तकनीकी का आदान प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2002 में शासनादेश संख्या 1217/उ0शि0/2002 दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के द्वारा **"उत्तरांचल संस्कृत अकादमी"** की स्थापना जनपद हरिद्वार में की गयी तथा शासनादेश संख्या 366550/XLII-1/2026/02(05)2012/E-82787 दिनांक 02 फरवरी, 2026 के माध्यम से संस्था का नाम परिवर्तित करके **"उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्"** कर दिया गया है।

उक्त उद्देश्यों के क्रम में संस्थानम् द्वारा संस्कृत के प्रचार–प्रसार, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

संस्थानम् के कार्यों व बजट की समीक्षा एवं नियन्त्रण हेतु मा0 सामान्य समिति, शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समितियों का पुनर्गठन कार्यकारी आदेश सं0 SANS-MISC/MIS/185/2022-XLII-1-Sanskrit Education Department (Computer No 35887)1/85520/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के द्वारा किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

1. राज्यस्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगितायें।
2. विविध प्रकाशन योजनायें (मौलिक एवं अनुदित)।
3. विविध शोध परियोजनायें।
4. विविध सम्मेलन एवं संगोष्ठियां।
5. विविध प्रकार की छात्रवृत्ति योजनायें।
6. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान।
7. नाट्य प्रशिक्षण एवं नाट्य यात्रा का आयोजन।
8. शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला।
9. वैदिक कर्मकाण्ड, ज्योतिष एवं वास्तु प्रशिक्षण केन्द्र।
10. आदर्श संस्कृत ग्राम निर्माण एवं विस्तार योजना।
11. राजकीय एवं प्रबन्धकीय शिक्षक सहायता एवं अनुदान।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

धारा– 4(1)(ख)(ii)

संस्थानम् के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य कार्यालय आदेश संख्या 376/04/कार्यालय आदेश/उ0सं0अ0/2019–20 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में निहित निर्देशानुसार

धारा– 4(1)(ख)(iii)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

सुसंगत नियमों के पालन में आख्या के साथ कार्यालय में प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों, पत्रावलियों आदि को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सम्यक विचारोपरान्त उच्चाधिकारियों द्वारा संदर्भित पत्रावलियों पर यथोचित आदेश पारित किये जाते हैं। आदेशों के पालन में पत्रावलियाँ सम्बन्धित अनुभागों को अग्रसारित की जाती है। जहाँ सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाती है। यह सम्बन्धित विभागों का दायित्व है की संदर्भित पत्रावलियों पर सुसंगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत टीका टिप्पणी कर कार्यालय के माध्यम से उच्चाधिकारियों के सम्मुख आदेशार्थ प्रस्तुत करें। पत्रावली पर किसी भी प्रकार की कमी होने पर कार्यालय का दायित्व है कि पत्रावली सम्बन्धित अनुभाग को स्पष्टीकरण हेतु लौटा दी जाये। संस्थानम् द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों को विभिन्न नियमों व शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी व अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही का प्राविधान है।

धारा– 4(1)(ख)(iv)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

संस्थानम् के नियंत्रणाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्कृत शिक्षा विभाग अथवा उत्तराखण्ड शासन के सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत की जाती है। अन्य प्रशासनिक व नैतिक कार्यों के शीघ्र निस्तारण हेतु सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।

धारा– 4(1)(ख)(v)

संस्थानम् द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देशिका और अभिलेख

1. शासनादेश संख्या 1217/उ0शि0/2002 दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के द्वारा संस्थानम् के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
2. शासनादेश संख्या 1249/उ0शि0/2002 दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 के द्वारा संस्थानम् का गठन किया गया।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

3. शासनादेश संख्या SANS-MISC/MIS/185/2022-XLII-1-Sanskrit Education Department (Computer No 35887)1/85520/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के द्वारा संस्थानम् की समितियों का पुनर्गठन किया गया।

4. संस्थानम् के पार्षद अन्तर्नियम।

5. संस्थानम् की सेवानियमावली की प्रक्रिया शासनस्तर पर गतिमान है।

धारा– 4(1)(ख)(vi)

ऐसे अभिलेख जो संस्थानम् द्वारा धारित उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण

कार्यालय विभाग

प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ

शोध विभाग

स्वीकृत योजनानुसार कार्यों का क्रियान्वयन एवम् शोध कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ

प्रकाशन विभाग

मुद्रण सम्बन्धी कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ

लेखा विभाग

वित्त सम्बन्धी कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ

पुस्तकालय विभाग

पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ

धारा– 4(1)(ख)(viii)

ऐसी समितियों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन समितियों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी का विवरण

संस्थानम् के कार्यों के कुशल संचालन हेतु शासनदेश संख्या SANS-MISC/MIS/185/2022-XLII-1-Sanskrit Education Department (Computer No 35887)1/85520/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के द्वारा संस्थानम् की कार्यकारिणी समिति, शासी निकाय समिति और सामान्य समिति का पुनर्गठन किया गया है। संस्थानम् हेतु नीति निर्देश उपरोक्त समितियों द्वारा ही तय किये जाते हैं। इन समितियों की बैठकें आम जनता के लिए खुली नही है किन्तु इन बैठकों का कार्यवृत्त सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्धारित शुल्क 02 रू0/पृष्ठ के अनुसार भुगतान करके आम नागरिकों द्वारा संस्थानम् कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

धारा– 4(1)(ख)(ix)

संस्थानम् में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	ई–मेल आईडी
1.	प्रो0 विनय कुमार	सचिव	7906725688	sec-uksa@ukgovernment.in
2.	श्रीमती माया देवी	वित्त अधिकारी	7983068072	fo-uksa@ukgovernment.in
3.	श्री हरीश चन्द्र गुरुरानी	शोध अधिकारी	9837149064	dr.hgururani.usa@gmail.com
4.	श्री किशोरी लाल रतूड़ी	प्रकाशन अधिकारी	7500242603	rkraturi@gmail.com
5.	श्रीमती लीला रावत	प्रशासनिक अधिकारी	9720438344	rawatleela71@gmail.com
6.	श्री राधेश्याम	लेखाकार	9758051761	shyamrahul1978@gmail.com
7.	श्रीमती रमा कठैत	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	8909802912	ramakathait@gmail.com
8.	श्रीमती मनीषा चंचल	पुस्तकालय लिपिक	8630069679	manishaladoo@gmail.com

धारा– 4(1)(ख)(x)

संस्थानम् में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को देय मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्दर प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों से यथाउपबंधित हो

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	पे–लेवल (सप्तम के अनुसार)
1.	प्रो0 विनय कुमार	सचिव	ग्रेड पे–10000 (षष्ठ वेतनमान)	14
2.	श्रीमती माया देवी	वित्त अधिकारी	ग्रेड पे–5400 (षष्ठ वेतनमान)	10
3.	डॉ0 हरीश चन्द्र गुरुरानी	शोध अधिकारी	ग्रेड पे–5400 (षष्ठ वेतनमान)	10
4.	श्री किशोरी लाल रतूड़ी	प्रकाशन अधिकारी	ग्रेड पे–4200 (षष्ठ वेतनमान)	6
5.	श्रीमती लीला रावत	प्रशासनिक अधिकारी	ग्रेड पे–4200 (षष्ठ वेतनमान)	6
6.	श्री राधेश्याम	लेखाकार	ग्रेड पे–4200 (षष्ठ वेतनमान)	6
7.	श्रीमती रमा कठैत	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	ग्रेड पे–2800 (षष्ठ वेतनमान)	5
8.	श्रीमती मनीषा चंचल	लिपिक	ग्रेड पे–1900 (षष्ठ वेतनमान)	2

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

धारा– 4(1)(ख)(xi)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

संस्थानम् द्वारा वर्ष भर किये जाने वाले कार्यक्रमों व योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर कार्यक्रमों पर प्रस्तावित व्यय अनुमोदन हेतु संस्थानम् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर कार्यकारिणी समिति के मा0 अध्यक्ष/सचिव संस्कृत शिक्षा के अनुमोदनोपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

धारा– 4(1)(ख)(xii)

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, आवंटित राशि और फायदाग्राहियों के ब्यौरे

संस्थानम् द्वारा प्रदेश के संस्कृत विद्यालयो/महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है व संस्कृत विद्यालयो/महाविद्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है। संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के पुस्तकालय हेतु निशुल्क किताबें, कम्प्यूटर व फर्नीचर इत्यादि कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त दिया जाता है। शोध छात्रों को शोधवृत्ति प्रदान की जाती है, संस्कृत विषय में सर्वोपरि अंक वाले छात्र–छात्राओं को छात्रप्रतिभा सम्मान प्रदान किया जाता है।

धारा– 4(1)(ख)(xiv)

इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध या धारित सूचनाएं

भारत का कोई भी आम नागरिक सूचना अभिप्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन पत्र अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सम्पर्क करने पर चाही गयी सूचना संस्थानम् कार्यालय में स्थापित इलैक्ट्रोनिक उपकरणों यथा– कम्प्यूटर, ई–मेल, सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस, बायोमैट्रिक प्रणाली, संस्थानम् की ई–मेल uksa2002@gmail.com, फेसबुक अकाउंट व यूट्यूब अकाउंट से प्राप्त कर सकता है। संस्थानम् से सम्बन्धित मुख्य सूचनायें संस्थानम् की वेबसाइट www.uksa.uk.gov.in के माध्यम से जनता को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

धारा– 4(1)(ख)(xv)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

वर्तमान में कार्यालय द्वारा धारित प्रपत्रों व जारी किये गये आदेशों को नागरिकों द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार उन्हें प्रतियाँ/सूचना उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही मुख्य सूचनाएं पब्लिक डोमेन में विभागीय वेबसाइट uksa.uk.gov.in पर भी जनमानस के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आम जनमानस के उपयोग हेतु संस्थानम् परिसर में एक वृहद् पुस्तकालय बना है, जिसमें अलग–अलग विषयों की संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी की पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, वाचन कक्ष, फ्री वाई फाई, शौचालय, पेयजल, आदि की सुविधाऐं आम जनता के प्रयोगार्थ निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सूचनाऐं संस्थानम् कार्यालय में स्थापित सूचना पट्ट के माध्यम से भी आम जनता को उपलब्ध करायी जाती है, अत्यावश्यक जरूरी सूचनाओं को समाचार पत्रों, संस्कृत पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय प्रांगण में आम स्थान पर नागरिकों के लिए सूचना पट्ट लगाया गया है। जिसमें लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता व दूरभाष नम्बर अंकित किया गया है।

धारा– 4(1)(ख)(xvi)

लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी का नाम – श्रीमती लीला रावत

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

मोबाइल न0– 9720438344, ई–मेल– rawatleela71@gmail.com

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम – प्रो0 (डॉ0) विनय कुमार

पदनाम– सचिव

मोबाइल न0– 7906725688, ई–मेल– sec-uksa@ukgovernment.in

धारा– 4(1)(ख)(xvii)

अन्य सूचनाऐं संलग्न हैं।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

संख्या : 1217 /उ0शि0/2002

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा

देहरादून : दिनाँक : 12 दिसम्बर, 2002

विषय प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना।

महोदय,

संस्कृत भाषा राष्ट्र की अमूल्य अनुपम निधि है। अनादि काल से हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन पर उसका अपरिमित प्रभाव है। समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति उससे पूर्णतया अनुप्राणित है। देववाणी पद से विभूषित अन्य प्राचीन भाषाओं से अपेक्षाकृत अधिक जीवन्त है। हमारा धार्मिक जीवन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। प्राचीनकाल से ही विभिन्न संस्कृतियों, मान्यतायें धार्मिक विश्वास, बौद्धिक पूर्वाग्रहों की अभिव्यक्ति संस्कृत के माध्यम से ही हुई हैं। वेद, उपनिषद, महाकाव्य एवं महाग्रन्थ आज भी अक्षुण्ण हैं।

वर्तमान में संस्कृत की पाण्डुलिपियां तथा अभिलेख बिखरे पड़े हैं। कहीं पर भी एक स्थान पर इनके संकलन का प्रयास नहीं किया गया है। माइक्रो फिल्मिंग अथवा स्कैनिंग जैसी आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग से इन्हें संकलित कर संग्रहीत किया जा सकता है। संस्कृत की पाण्डुलिपियां तथा अभिलेख होशियारपुर (पंजाब), सर जी0एन0झा संस्कृत पुस्तकालय इलाहाबाद, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, बनारस, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, अड्यार इंस्टीट्यूट, मद्रास तथा पुणे स्थित संस्थान में संरक्षित हैं।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में निम्नवत् संस्कृत अकादमी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. संस्था का नाम – उत्तरांचल संस्कृत अकादमी।

12/12

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्नर पुर झाल हरिद्वार

2. मुख्यालय – उत्तरांचल संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जनपद हरिद्वार अथवा ऋषिकेश में होगा। प्रारम्भ में ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित संस्कृत महाविद्यालय जयराम आश्रम, हरिद्वार से यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

3. संस्थान के उद्देश्य एवं कार्य –

(1) संस्कृत अकादमी का प्रथम ध्येय यह होगा कि विश्व भर में जहाँ पर भी संस्कृत अभिलेख हों, को एकत्रित कर पुस्तकालय/अभिलेखागार बनाया जायेगा, जहाँ पर समस्त संकलन उपलब्ध हों। यदि यह ऐसा केन्द्र बन जाता है, जहाँ समस्त प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध हों तो निःसन्देह विश्व भर के संस्कृत प्रेमियों एवं संस्कृत शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकृष्ट करेगा।

(2) संस्कृत के ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रकाशन। प्रकाशन का तात्पर्य मात्र पुस्तक प्रकाशन नहीं रह गया है आज प्रकाशन कई नये आयामों में नवीनतम तकनीकी के आधार पर किया जायेगा।

(3) विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय स्थापित करना।

(4) संस्कृत का सरलीकरण। पाणिनी के व्याकरण की शुद्धता एवं कटुता ने संस्कृत को एक जीवन्त भाषा से देवभाषा बना दिया। सम्भवतः संस्कृत के ह्रास का कारण यही है। जब पाली में यह प्रयोग किया गया तब पाली की भी यही गति हुई है।

(5) संस्कृत के वैज्ञानिक तथा अन्य विषयों से प्रासंगिकता एवं इसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद/उनका आधुनिक विकसित माध्यमों से प्रकाशन।

(6) संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

(8) संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन हेतु विशिष्ट कोटि के संस्कृत भाषा के विद्वानों एवं साहित्यकारों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधायें प्रदान करना। इसमें फैलोशिप, छात्रवृत्ति एवं अन्य गतिविधियां सम्मिलित हैं।

(9) संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर बनाना, पाठ्यक्रम सचित्र सरल एवं बोधगम्य तैयार किया जाना।

12/12

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्नपुर झाल हरिद्वार

(10) संस्कृत की विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य एवं आधुनिकतम तकनीकी का आदान–प्रदान तथा सम्पर्क करना।

4. समितियों का गठन :

संस्कृत संस्थान के लिए सामान्य समिति, सामान्य परिषद् कार्यकारिणी एवं उप समितियाँ आदि गठित की जायेंगी। सामान्य समिति निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(1) अध्यक्ष – मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
(2) उपाध्यक्ष – श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
(3) सदस्य – मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार नामित।
(4) सदस्य सचिव/निदेशक, संस्थान – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।
(5) कोषाध्यक्ष – शासन द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

संस्कृत अकादमी की स्थापना के लिए राज्य संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना की दिशा में अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा वित्तीय उपाशयता का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिन्हा)
12/ सचिव।

संख्या –1217 (1)/उ0शि0/2002 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त कुलपति, उत्तरांचल।
6. श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तरांचल संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

9 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
11. गोपन (मंत्रि परिषद अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अपरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न्पुर झाल हरिद्वार

संख्या : 1249 /उ0शि0/2002.

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में.

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा

देहरादून : दिनाँक :20 दिसम्बर, 2002

विषय : प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1217/उ0शि0/2002 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृत की पाण्डुलिपियां तथा अभिलेखों को संकलित कर अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने हेतु राज्य में उत्तरांचल संस्कृत अकादमी की स्थापना का सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

1. मुख्यालय :

उत्तरांचल संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जनपद. हरिद्वार अथवा ऋषिकेश में होगा। प्रारम्भ में ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित संस्कृत महाविद्यालय जयराम आश्रम, हरिद्वार से यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्की.पुर झाल हरिद्वार

2. <u>संस्थान के उद्देश्य एवं कार्य :</u>

(1) विश्व भर में उपलब्ध संस्कृत अभिलेखों को एकत्रित कर पुस्तकालय/अभिलेखागार बनाया जायेगा, जिससे संस्कृत साहित्य के परिवर्द्धन एवं शोध को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
(2) संस्कृत के ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रकाशन।
(3) संस्कृत साहित्य के विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना।
(4) संस्कृत का सरलीकरण।
(5) संस्कृत के वैज्ञानिक तथा अन्य विषयों से प्रासंगिकता एवं इसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद/उनका आधुनिक विकसित माध्यमों से प्रकाशन।
(6) संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
(7) संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन हेतु विशिष्ट कोटि के संस्कृत भाषा के विद्वानों एवं साहित्यकारों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधायें प्रदान करना। इसमें फैलोशिप, छात्रवृत्ति एवं अन्य गतिविधियां सम्मिलित हैं।
(8) संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर बनाना, पाठ्यक्रम सचित्र सरल एवं बोधगम्य् तैयार किया जाना।
(9) संस्कृत की विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य एवं आधुनिकतम तकनीकी का आदान–प्रदान तथा सम्पर्क करना।

3. <u>समितियों का गठन :</u>

संस्कृत संस्थान के लिए सामान्य समिति, सामान्य परिषद् कार्यकारिणी एवं उप समितियाँ आदि गठित की जायेंगी। सामान्य समिति निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(1) अध्यक्ष – मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
(2) उपाध्यक्ष – श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
(3) सदस्य – मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार नामित।
(4) सदस्य सचिव/निदेशक, संस्थान – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त।
(5) कोषाध्यक्ष – शासन द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

संस्कृत अकादमी की स्थापना के लिए राज्य संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। कृपया प्रदेश में संस्कृत

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

अकादमी की स्थापना की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा वित्तीय उपाशयता का प्रस्ताव शासन को अलिवम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संस्कृत अकादमी की स्थापना विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1217/उ0शि0–2002 दिनाँक 12–12–2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

19/12

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या – 1249 (1)/उ0शि0/2002 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त कुलपति, उत्तरांचल।
6. श्री ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरुप, जयराम आश्रम, हरिद्वार।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई–दिल्ली।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
11. गोपन (मंत्रि परिषद् अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

19/12/02

आज्ञा से,

19/12

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टार्च पुर झाल हरिद्वार

आदेश

अधिसूचना संख्या 68/3–2161/1979–रा–1 दिनांक 05.09.86 का आशिंक परिष्कार करते हुये ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950(अधिनियम संख्या–1 सन्1951) की धारा 117 की उपधारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा–1–16(1)/73 दिनांक 05मार्च,1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं एस0के0माहेश्वरी, जिलाधिकारी हरिद्वार निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.09.86 की विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, फिर से अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरिद्वार	हरिद्वार	ज्वाला पुर	रानीपुर	बहादराबाद	806/3	1.760है0	उत्तरांचल संस्कृत अकाडमी की स्थापना हेतु

उत्तरांचल संस्कृत अकादमी
डायरी नं0 50
दिनांक 28/8/2003
हरिद्वार

(एस0के0माहेश्वरी)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या 1180 /भूमि व्यवस्था दिनांकःअगस्त 28,2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव,राजस्व, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव(उच्च शिक्षा) उत्तरांचल शासन देहरादून ।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक,(उच्च शिक्षा) उत्तरांचल,हल्द्वानी(नैनीताल)
5– अधीक्षक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,राजकीय लीथो प्रैस रूड़की को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
6– तहसीलदार हरिद्वार को राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार इन्द्राज करने हेतु एवं सम्बन्धित विभाग को कब्जा कराने हेतु।
7– उपाध्यक्ष, उत्तरांचल संस्कृत अकाडमी,हरिद्वार।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराञ्चल संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न,पुर झाल हरिद्वार

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

(संलग्नक-2)

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की नियमावली (Article of Association)

207

1. नाम-- यह अकादमी उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी कहलायेगी।

2. पंजीकृत कार्यालय-- अकादमी का पंजीकृत कार्यालय "संस्कृतभवनम्", दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार– 249407 है।

3. परिभाषायें –

(क) "अकादमी" का तात्पर्य उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी से है,
(ख) "शासन" का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है,
(ग) "सामान्य समिति" का तात्पर्य नियमावली में परिभाषित सामान्य समिति से है,
(घ) "कार्यकारिणी" का तात्पर्य नियमावली में परिभाषित कार्यकारिणी से है,
(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अकादमी के अध्यक्ष से है,
(च) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य अकादमी के उपाध्यक्ष से है,
(छ) "सचिव" का तात्पर्य उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के सचिव से है, जो कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा,
(ज) "कोषाध्यक्ष" का तात्पर्य संस्कृत अकादमी के कोषाध्यक्ष से है, जो कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा,
(झ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स फण्ड, उत्तराखण्ड से है,
(ञ) "एक्ट" का तात्पर्य सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 1860 से है,
(ट) "वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है,
(ठ) "नियम" का तात्पर्य सोसायटी के नियमों से है;

4. उद्देश्य एवं कार्य–

(क) संस्कृत अभिलेखों को एकत्रित कर पुस्तकालय एवं अभिलेखागार स्थापित करना, जिसमें संस्कृत साहित्य के अनुरक्षण, परिवर्द्धन एवं शोध को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा,
(ख) संस्कृत साहित्य के विशिष्ट पुस्तकालय की स्थापना,
(ग) संस्कृत के ग्रंथों एवं अभिलेखों का प्रकाशन,
(घ) संस्कृत का सरलीकरण,
(ङ) संस्कृत साहित्य का आधुनिकतम वैज्ञानिक माध्यमों से प्रकाशन, अन्य विषयों से सामंजस्य तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना,
(च) संस्कृत शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक शोध, संगोष्ठी, परिचर्चा एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना,
(छ) संस्कृत भाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन एवं शोध हेतु विशिष्ट कोटि के विद्यार्थी, साहित्यकारों एवं संस्कृत के शिक्षकों को संस्कृत के विकास, शोध, संवर्द्धन एवं परिचर्चा हेतु आर्थिक सहायता एवं सुविधायें प्रदान करना, जिसमें फैलोशिप छात्रवृत्ति, सम्मान एवं अन्य गतिविधियां सम्मिलित होंगी,
(ज) संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, सचित्र सुगम एवं बोधगम्य पाठ्यक्रम तैयार करना,
(झ) संस्कृत के विश्वविख्यात संस्थाओं से साहित्य एवं आधुनिकतम तकनीकी का आदान प्रदान तथा समन्वय करना,
(ञ) संस्कृत के विकास हेतु अनुदान, दान, उपहार एवं भेंट प्राप्त करना।
(ट) संस्कृत साहित्य एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन।
(ठ) संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु अन्य आवश्यक क्रियाकलाप का सम्पादन करना।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

संस्कृत अकादमी के पदाधिकारी–

संस्कृत अकादमी के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

(1) अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष
(3) सचिव– उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
(4) कोषाध्यक्ष

6. **अकादमी की समितियों का गठन** – उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के लिये सामान्य समिति, कार्यकारिणी समिति एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु समय–समय पर उपसमितियां गठित की जायेंगी। सामान्य समिति निम्नवत् गठित की जायेगी–

(क) सामान्य समिति –

(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
(2) राज्य सरकार द्वारा नामित	–	उपाध्यक्ष
(3) प्रमुख सचिव/सचिव (संस्कृत शिक्षा)	–	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव वित्त या उसके प्रतिनिधि	–	सदस्य
(5–7) संस्कृत शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा/उच्चशिक्षा निदेशक पदेन	–	सदस्य
(8 से 11) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संस्कृत के चार विद्वान	–	सदस्य
(12 से 25) अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान तथा एक पुरातत्त्ववेत्ता	–	सदस्य
(26) कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी	–	सदस्य
(27) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी	–	सदस्य/सचिव

(ख) कार्यकारिणी समिति –

संस्कृत अकादमी कार्यकारिणी समिति निम्नवत् गठित की जायेगी,

(1) प्रमुख सचिव/सचिव (संस्कृत शिक्षा)	–	अध्यक्ष
(2) अपर सचिव, वित्त		सदस्य
(3–5) संस्कृत शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा/उच्चशिक्षा निदेशक पदेन	–	सदस्य
(6) कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी	–	सदस्य
(7 से 10) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संस्कृत के चार विद्वान	–	सदस्य
(11) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी	–	सदस्य/सचिव

7. **सामान्य समिति के सदस्यों का नामांकन एवं कार्यालय–**

(क) संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति अथवा उसकी कार्यकारिणी समिति अथवा उसकी किसी अन्य समिति के जो पदेन सदस्य, होंगे, उनकी सदस्यता तब तक ही मानी जायेगी जब तक वे उस पद पर हैं जिसके लिये अकादमी के सदस्य होने की व्यवस्था की गयी है। उनकी सदस्यता उस पद की समाप्ति पर स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य माने जायेंगे।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्की-पुर झाल हरिद्वार

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा। नामित सदस्य पुनः नामित किये जा सकते हैं।

(ग) यदि कोई नामित सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो अकादमी की सामान्य समिति के अध्यक्ष को त्याग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा त्याग पत्र स्वीकृति की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। उसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नया सदस्य नामित किया जायेगा, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिये होगा।

8. **सचिव एवं कोषाध्यक्ष की नियुक्ति–**

संस्कृत अकादमी के सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद पर शासन द्वारा नियुक्ति की जायेगी तथा उसकी सेवा शर्तें वही होंगी जो समय–समय पर शासन द्वारा विहित की जाये।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग

सदस्यता की समाप्ति –

संस्कृत अकादमी के सामान्य एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता त्यागपत्र, मृत्यु, पागलपन, दिवालिया, निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने तथा सदस्य द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अकादमी के अहित एवं उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करना सिद्ध होने पर समाप्त मानी जायेगी।

10. सामान्य समिति के कर्तव्य एवं अधिकार –

(क) कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार किये गये वार्षिक आय–व्यय का अनुमोदन करना,

(ख) अकादमी के वार्षिक आय–व्यय के लेखा परीक्षण के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना,

(ग) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदित करना,

(घ) अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपसमितियों का गठन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना,

(ङ) अकादमी के सफल संचालन हेतु समय–समय पर अतिरिक्त आवश्यक नियम, उपनियम एवं प्रक्रिया हेतु शासन का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना,

(च) अकादमी की नीतियों का निर्धारण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का मूल्यांकन और सुधार तथा विकास के लिये आवश्यक उपाय करना,

(छ) अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सामान्य समिति के कर्तव्य एवं अधिकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

11. सामान्य समिति की बैठकें –

(क) सामान्य समिति की बैठक की अध्यक्षता अकादमी के अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।

(ख) सामान्य समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार आयोजित की जायेगी।

(ग) विशेष बैठक भी अध्यक्ष द्वारा या कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रस्ताव पर आहूत की जा सकेगी।

12. बैठक की सूचना –

सामान्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिए सचिव द्वारा पन्द्रह दिन पूर्व समस्त पदाधिकारियों को सूचना प्रेषित की जायेगी, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में दस दिन पूर्व भी सूचना देकर सामान्य समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक में निर्धारित कार्य बिन्दुओं पर ही निर्णय लिया जायेगा। यदि किसी अतिरिक्त विषय को अपरिहार्य परिस्थितियों में शामिल करना आवश्यक है, तो इस हेतु अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

13. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

(क) सामान्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये संस्कृत अकादमी के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर अनुमोदित करना।

(ख) संस्कृत अकादमी की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर सामान्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करना,

(ग) संस्कृत अकादमी के उद्देश्य के अनुरूप संस्कृत साहित्य के पुस्तकालय पाण्डुलिपियों का संरक्षण, रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन परिचर्चा और गोष्ठियों आदि के आयोजन के लिये आवश्यक योजना बनाना एवं उनका संचालन तथा क्रियान्वयन करना।

(घ) संस्कृत अकादमी के कार्य संचालन हेतु शासन के पूर्व अनुमोदन से ऐसे आवश्यक पदों का सृजन करना तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विहित की जा सकेगी,

(ङ) समय–समय पर विभिन्न प्रयोजनों एवं अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति की दशा में समितियों का गठन कर योजना का क्रियान्वयन करना,

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्नर पुर झाल हरिद्वार

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग

(ट) अकादमी के उद्देश्यों के लिये शासन और अन्य स्रोतों से अनुदान या दान प्राप्त करना एवं उसे अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति के अनुमोदनोपरान्त व्यय करना,

(छ) अकादमी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य ऐसे सभी कार्याधिकारों का प्रयोग करना जो कि आवश्यक हैं,

(ज) आवश्यकतानुसार पारित प्रस्ताव के अनुरूप अधिकारों का प्रतिनिधायन तथा प्रतिबन्धों के साथ उपसमितियों, अध्यक्ष अथवा सचिव को निर्देशित किया जाना,

(झ) संस्कृत अकादगी की चल एवं अचल सम्पत्ति (विक्रय बन्धक, किराया, हस्तान्तरण, निपटारा) आदि की कार्यवाही शासन के पूर्वानुमति से किया जाना,

(ञ) राज्य के संस्कृत साहित्य के साहित्यकारों, विद्वानों को फैलोशिप, सम्मान, प्रशस्ति आदि हेतु सम्मान समारोह आयोजित करना तथा इस हेतु नियम एवं उपनियम तैयार करना,

(ट) संस्कृत अकादमी में अध्ययनरत एवं कार्यरत छात्रों, शोधकर्ताओ एवं विद्वानों के लिये प्रोत्साहन हेतु मानक एवं नियम निर्धारित करना।

14. कार्यकारिणी समिति की बैठक–

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य द्वारा की जायेगी,

(ख) अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को बैठक का अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकेगा,

(ग) सामान्यतया कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार आकस्मिक बैठक आयोजित करने हेतु सक्षम होंगे,

(घ) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सचिव द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यो को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विशेष परिस्थितियों में सचिव द्वारा दो तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर अथवा अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिये विशेष बैठक आहूत की जा सकेगी,

(ङ) सचिव अध्यक्ष से परामर्शोपरान्त सम्बन्धित समिति की बैठक आयोजित करायेगं,

(च) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां तथा उनके अनुपालन से सम्बन्धित अभिलेख रखने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा। सचिव बैठकों का कार्यवृत्त एवं अनुपालन की स्थिति से अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को तत्काल अथवा आगामी बैठक में पुष्टि करायेंगे।

(छ) कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक के लिये दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी,

(ज) अकादमी के कार्यों पर नियंत्रण रखना एवं समय–समय पर निरीक्षण कर निर्देश देना,

(झ) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा तथा दोनों पक्षों के समान सहमति की दशा में निर्णायक मत का अधिकार अध्यक्ष को होगा,

(ञ) कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक के अध्यक्ष के निर्देशन में संचालित होगी और इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की प्रक्रिया और मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

15. पदाधिकारियों के कार्य–

अकादमी की सामान्य समिति के अध्यक्ष के कार्य–

(क) अकादमी की सामान्य समितियों की बैठक की अध्यक्षता करना,

(ख) अकादमी के कार्यों को सामान्य समिति की आवश्यकता एवं सुझाव के आधार पर आवंटित करना,

(ग) आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणी समिति के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार निर्वहन किये गये कार्यों की पुष्टि कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में किया जाना आवश्यक होगा,

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न.पुर झाल,हरिद्वार

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग

(ग) समिति के कोषाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा तैयार किये गये आंकडों के आधार पर धन की व्यवस्था करना तथा विवेकानुसार कोषाध्यक्ष एवं सचिव से अकादमी के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख एवं रिपोर्ट प्राप्त करना।

(ङ) ऐसे अन्य भी कार्य, जो अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों,

सामान्य समिति के उपाध्यक्ष के कार्य--

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जाना।

(ख) अध्यक्ष, सामान्य समिति एवं कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।

कोषाध्यक्ष--

(क) अकादमी के कोषाध्यक्ष की नियुक्ति आवश्यक शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) कोषाध्यक्ष द्वारा अकादमी के सभी वित्तीय कार्यों का प्रबन्धन तथा लेखा-जोखा रखा जायेगा जो कि अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) कार्यकारिणी समिति के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अधीन अकादमी को स्वीकृत अनुदान या अन्य धनराशियों के उचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

(घ) अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्त प्रबन्धन एवं समितियों को सहायता प्रदान करना।

(ङ) आय-व्ययक एवं वित्तीय मामलों में सचिव को परामर्श अथवा सहयोग प्रदान करना तथा कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अपव्ययता एवं अनियमितताओं के लिये संयुक्त रुप से उत्तरदायी होना।

सचिव --

(क) अकादमी के सचिव की नियुक्ति आवश्यक शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) शासन एवं अकादमी द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों के आधार पर अकादमी का प्रशासनिक प्रमुख अकादमी का सचिव होगा। अकादमी के समस्त प्रशासनिक कार्य एवं गतिविधियां उनके नियंत्रणाधीन होंगी। संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुरक्षण करेंगे तथा शासन के निर्देशानुसार बैठकों में प्रतिभाग करेंगे।

(ग) अकादमी के लिये वार्षिक कार्ययोजना, नीति एवं निर्देश, आय-व्ययक तथा लेखा तैयार करना।

(घ) सामान्य समिति एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक आमन्त्रित करना।

(ङ) सामान्य समिति एवं कार्यकारिणी समिति की कार्यसूची, कार्यवृत्त एवं उसका अनुपालन कराकर आख्या तैयार कर समितियों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना,

(च) सामान्य समिति एवं कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये अकादमी के वार्षिक रिर्पोट, आय-व्ययक एवं कार्यक्रमों का प्रतिवेदन तैयार करना।

(छ) अकादमी की निधि को शासन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना।

(ज) कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के अनुसार समिति की ओर से करारनामें का निष्पादन करना और उस पर हस्ताक्षर करना।

(झ) अकादमी का सचिव अकादमी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो अध्यक्ष के निर्देशन एवं पथ-प्रदर्शन के अधीन अकादमी के समुचित प्रशासन के लिये समितियों एवं शासन के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(ञ) अकादमी की वार्षिक आख्या, लेखा तथा आय-व्ययक शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार करना।

(ट) कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को निर्धारित करना तथा उन पर अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण रखना।

(ठ) सामान्य समिति और कार्यकारिणी समिति या उसकी किसी भी समिति का सचिव भी अकादमी का सचिव होगा।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, ढालपुर झाल हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग

(ङ) अकादमी के समस्त समितियों की बैठकें आयोजित करना, कार्यवृत्त तैयार करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

(च) अकादमी के समस्त लेखों का कोषाध्यक्ष के परामर्शनुसार अपने उचित निर्देशन एवं नियंत्रण में विधिवत् रख–रखाव।

(ण) अकादमी से सम्बन्धित सभी संविदायें तथा संलेख सचिव द्वारा निष्पादित तथा हस्ताक्षरित किये जायेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चैक आदि संक्राम्यकरण पत्रों पर सचिव के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे।

16. **अकादमी के अभिलेख** – संस्कृत अकादमी के समस्त साहित्य, अभिलेख, पंजिकायें, भण्डार अभिलेख तथा निधियों का अनुरक्षण सचिव द्वारा किया जायेगा, जिन्हें समय–समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

17. **आय एवं आस्तियां**

(क) अकादमी को अपनी आस्तियों से होने वाली आय अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही उपयोग की अनुमति होगी।

(ख) किसी भी रूप में अकादमी की आय किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग में नहीं लायी जा सकेगी।

(ग) अकादमी के आय के स्रोत साधारणतया केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदान, व्यक्तिगत दान तथा कम्पनियों एवं अन्य समितियों द्वारा दी गयी सहायता धनराशि एवं उपहार आदि होंगे।

18. **सामान्य नियम –**

(क) दान एवं अनुदान केवल अकादगी के पक्ष में ही स्वीकार किये जायेंगे एवं अकादमी के हित में ही प्रयोग में लाये जायेंगे।

(ख) अकादमी के सदस्यों द्वारा किये विधिक व्यय सामान्य समिति सभा द्वारा पारित किये जाने पर आपूर्ति हेतु देय होंगे।

(ग) अकादमी की चल एवं अचल सम्पत्तियों के विषय में उत्पन्न किसी भी वाद–विवाद के निपटारे का व्यय अकादमी स्वयं वहन करेगी तथा विवादों का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

19. **बैंक –**

(क) अकादमी की सभी निधियाँ अनुमोदित राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में जमा की जायेंगी।

(ख) अकादमी के खातों का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(ग) खाते खोलते समय अकादमी द्वारा शासन की पूर्वानुमति से तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर से नियमानुसार खाते खोले जायेंगे।

(1) उपाध्यक्ष, सामान्य समिति।
(2) सचिव।
(3) कोषाध्यक्ष।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न,पुर झाल हरिद्वार

20. **लेखा–परीक्षक–**

(क) संस्कृत अकादमी के लेखों की सम्परीक्षा वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभाग स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग शासन के नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये यदि कोई व्यय शुल्क अपेक्षित हो तो समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक सामान्य सभा को अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा।

21. **वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय–व्ययक पत्रक–**

अकादगी का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरान्त सामान्य समिति के समक्ष रखा जायेगा तत्पश्चात् प्रतिवेदन की प्रति सम्बन्धित वर्ष के लेखा परीक्षण कर आय–व्ययक शासन को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी

22. अकादमी अथवा उसकी ओर से नियुक्त किसी समिति के सदस्य जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अपने विभाग से नियमानुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अकादमी के अन्य सदस्य दैनिक तथा यात्रा भत्ता राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

23. विघटन --

अकादमी का विघटन किये जाने पर ऋण तथा दायित्वों की प्रतिपूर्ति किये जाने के पश्चात् यदि कोई सम्पत्ति शेष रहेगी तो उसका निस्तारण उत्तरांचल शासन द्वारा निर्देशित रीति से किया जायेगा। अकादमी का विघटन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 13 एवं 14 के अधीन किये जा सकेंगे।

24. विधिक सलाहकार --

अध्यक्ष द्वारा अकादमी के हितों की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार शासन की पूर्वानुमति से समय-समय पर विधिक सलाहकार की सेवायें ली जा सकेंगी, जो पारिश्रमिक के आधार पर तैनात किया जा सकेगा।

25. नियमावली के संशोधन --

(क) उपर्युक्त नियमों में सामान्य समिति की इसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठकों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा निरसन का अधिकार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियमों में प्रस्तावित संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन या निरसन के उद्देश्य से बुलायी गयी सामान्य समिति की बैठक की सूचना कम से कम 14 दिन पहले अकादमी के सभी सदस्यों को दी गयी हो और नियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्द्धन या निरसन आदि का प्रस्ताव बैठक में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया हो।

(ख) उत्तराखण्ड शासन समय-समय पर अकादमी के ऐसे मामलों में जिनमें राज्य की सुरक्षा निहित हो अथवा पर्याप्त सार्वजनिक हित हो, उसके कृत्यों के प्रयोग व सम्पादन के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है तथा ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकता है जिन्हें अकादमी के कार्य संचालन और वित्तीय मामलों में आवश्यक समझा जाये।

(ग) उत्तराखण्ड शासन अकादमी की सम्पत्ति और उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ऐसे विवरणों, लेखों और सूचनाओं की मांग कर सकता है, जिसकी उसे आवश्यकता हो।

(घ) यदि कहीं पर शब्दों के अर्थ में कोई अन्तर आता है तो सामान्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग
हरिद्वार

I/85520/2022

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

कार्यकारी आदेश

उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा अधिसूचित होने के दृष्टिगत ''संस्कृत'' भाषा तथा संस्कृत साहित्य के संरक्षण प्रोत्साहन/विकास एवं संस्कृत शिक्षा के विकास, प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन के उद्देश्य हेतु शासनादेश संख्या–1217/उ0शि0/2002, दिनांक 12.12.2002 द्वारा गठित उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के नियमानुसार संचालन हेतु सोसाइटी अधिनियम, 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत पार्षद अन्तर्नियम (Article of Association) में गठित समितियों का पुनर्गठन/संशोधन एवं उनके कार्य/दायित्वों इत्यादि का एतद्द्वारा निर्धारण किये जाने की निम्नानुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. (क) सामान्य समिति –

(1) उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री – अध्यक्ष (पदेन)
(2) उत्तराखण्ड प्रदेश के संस्कृत शिक्षा मंत्री – उपाध्यक्ष(पदेन)
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य (पदेन)
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य (पदेन)
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य (पदेन)
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य (पदेन)
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य (पदेन)
(9) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार – सदस्य (पदेन)
(10–13) प्रदेश के संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के संस्कृत के चार विद्वान – सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

(14 से 24) अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 10 विद्वान तथा एक पुरातत्त्ववेत्ता (कुल 11) – सदस्य(राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
(25) कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सदस्य (पदेन)
(26) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सह सदस्य सचिव (पदेन)

(ख) शासी निकाय–

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड शासन – सदस्य सचिव
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न.पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

(6) निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड, हरिद्वार – सदस्य
(7) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सह सदस्य सचिव

(ग) कार्यकारिणी समिति –
(1) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून अधिकारी – सदस्य
(3) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार – सदस्य
(4) कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सदस्य
(5) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सदस्य सचिव
(6) अध्यक्ष, की अनुमति से कोई विशेष आमंत्रित सदस्य – सदस्य

2. सामान्य समिति/शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का नामांकन एवं कार्यालय–

(क) संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति, शासी निकाय तथा कार्यकारिणी समिति अथवा उसकी किसी अन्य समिति के जो पदेन सदस्य होंगे, उनकी सदस्यता तब तक मानी जायेगी जब तक वे उस पद पर हैं जिसके लिये अकादमी के सदस्य होने की व्यवस्था की गयी है। उनकी सदस्यता उस पद पर न रहने पर स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य माने जायेंगे।

(ख) सामान्य समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा। अध्यक्ष, सामान्य समिति की संस्तुति एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से मनोनीत सदस्य पुनः विहित प्रक्रियानुसार मनोनीत किये जा सकते हैं।

(ग) यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो अकादमी की सामान्य समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को त्याग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा त्याग पत्र देने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। उसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नया सदस्य विहित प्रक्रियानुसार मनोनीत किया जायेगा, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिये होगा।

3. सदस्यता की समाप्ति –

संस्कृत अकादमी के सामान्य समिति, शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता त्यागपत्र, मृत्यु, पागलपन, दिवालिया, निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने अथवा सम्बन्धित सदस्यों को उसका पक्ष रखने हेतु सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अकादमी के अहित एवं उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करना सिद्ध होने पर समाप्त मानी जायेगी। इस हेतु कार्यवाही कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी तथा सदस्यता समाप्ति हेतु शासी निकाय के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4. सामान्य समिति के कर्तव्य एवं दायित्व –

(क) नीतिगत दिशा–निर्देश एवं वार्षिक प्लॉन एवं समस्त कार्यों (वित्तीय एवं भौतिक) की समीक्षा अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न्ड,पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

(ख) संस्कृत अकादमी के वार्षिक आय–व्यय के लेखा परीक्षण के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, या विशेष लेखा परीक्षा आदि किये जाने हेतु मार्गदर्शन देना।
(ग) शासी निकाय द्वारा प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा वार्षिक कलैण्डर पर विचार करना तथा उक्त योजना/वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदित करना।
(घ) संस्कृत अकादमी की नीतिगत निर्णयों/नियमों को तैयार कर संस्तुति सहित राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना।
(ङ) संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सुझाव, कार्ययोजना एवं नियमों/सेवा सम्बन्धी नियमावली तथा अन्य कार्यों पर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु सुझाव प्रेषित किया जाना।
(च) शासी निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों पर नियमों के आलोक में विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान किया जाना।
(छ) अन्य प्रकरणों/समस्यों के निस्तारण के सम्बन्ध में सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित करना।
(ज) अध्यक्ष के सम्मुख सदस्यों द्वारा कोई विषय लाये जाने पर उस पर विचार करना।

5. **शासी निकाय के कर्तव्य एवं दायित्व–**

(क) नीतिगत दिशा–निर्देश एवं वार्षिक प्लॉन एवं समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यों (वित्तीय एवं भौतिक) का अनुमोदन एवं उनकी समीक्षा अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन।
(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताओं पर विचारोपरान्त लिये जाने वाले निर्णयों सहित सामान्य समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों/निर्णयों/सुझावों पर अनुमोदन प्राप्त करना।
(ग) नीतिगत प्रकरणों में अपना अभिमत/मन्तव्य देते हुए सामान्य समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
(घ) विभागीय वार्षिक कार्य योजना/वार्षिक आय–व्ययक के प्रस्तावों पर सामान्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया जाना।
(च) सामान्य समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों पर मार्गदर्शन एवं संस्तुति प्रदान करना।
(छ) सामान्य समिति के जारी कार्यवृत्त का अनुपालन/समीक्षा/अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
(ज) संस्कृत अकादमी के सफल संचालन हेतु समय–समय पर नियमानुसार आवश्यक उपसमितियों का गठन, संशोधित नियम, उप नियम एवं विहित प्रक्रिया का निर्धारण तथा शासन का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
(झ) अध्यक्ष के सम्मुख सदस्यों द्वारा कोई विषय लाये जाने पर उस पर विचार करना तथा उस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करना।

6. **कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य एवं दायित्व –**

(क) संस्कृत अकादमी के उद्देश्य को पूर्ण किये जाने हेतु शासी निकाय द्वारा निर्देशित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा वार्षिक कलैण्डर एवं वार्षिक आय–व्यय के

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टार्च,पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

दृष्टिगत योजनाओं का नियमानुसार सफल संचालन सुनिश्चित करना।
(ख) संस्कृत अकादमी की समस्त गतिविधियॉ विहित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवेदन तैयार कर शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर प्रकाशित किया जाना।
(ग) संस्कृत अकादमी के उद्देश्य के अनुरूप संस्कृत साहित्य के पुस्तकालय पाण्डुलिपियों का संरक्षण व संवर्धन, रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन परिचर्चा और संगोष्ठियों आदि का विहित प्रक्रियानुसार आयोजित करना।
(घ) संस्कृत अकादमी की योजना/कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु कोई कार्ययोजना एवं पद सृजन की अतिरिक्त आवश्यकता होने की स्थिति में विहित प्रक्रिया के अनुसार शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सचिव, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत किया जाना।
(ङ) नियुक्ति हेतु सेवा नियम/नियमावली/विहित प्रक्रिया, सेवा शर्ते आदि पार्षद अन्तर्नियम के अन्तर्गत नियमों के आलोक में अनुमोदित प्रस्ताव (सभी अभिलेखों सहित) शासन के विचारार्थ नियमानुसार निर्धारित प्राविधानों/मानकों के अनुसार प्रस्तुत करना।
(च) संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझाव/कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करना तथा यदि उप–समितियों का गठन किये जाने का सुझाव दिया गया है तो संस्तुति सहित विहित प्रक्रियानुसार प्रस्तुत करना तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरंतर क्रियान्वय/अनुश्रवण करना।
(छ) संस्कृत अकादमी द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों/सम्मेलनों जो उद्देश्य के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो तो अनुमोदित/स्वीकृत सुझावों एवं प्रस्तावों का वार्षिक आय–व्ययक के आलोक में सफल संचालन एवं क्रियान्वयन करना।
(ज) संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों के लिये शासन और अन्य स्रोतों से अनुदान या दान व निवेश प्राप्त करना एवं उसे संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त योजनाओं के माध्यम से विहित प्रक्रियानुसार व्यय करना।
(झ) संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य ऐसे सभी कार्याधिकारों का प्रयोग करना तथा नियमानुसार अभिलेखों पर हस्ताक्षर एवं संविदा आदि के अभिलेखों पर हस्ताक्षरित करना।
(ञ) आवश्यकतानुसार अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्ण किये जाने हेतु विहित प्रक्रिया/नियम/नियमावली/सेवा नियमावली आदि का गठन/ अधिसूचित करते हुए उक्त के अनुरूप अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं आवश्यक उप–समितियों के माध्यम से संस्तुति प्राप्त कर विहित प्रक्रियानुसार पूर्ण किया जाना।
(ट) संस्कृत अकादमी की चल एवं अचल सम्पत्ति (बन्धक, किराया, निपटारा) अन्य उपयोग आदि के लिए नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार शासन की पूर्वानमोदन प्राप्त कर, निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना।
(ठ) संस्कृत अकादमी की कार्यकारिणी के सम्मुख ऐसा कोई प्रकरण/विषय प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से संज्ञानित होता है ऐसी स्थिति में उस पर विहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना तथा शासन के सम्मुख प्रकरण को लाना तथा नियमानुसार उसकी जॉच किये जाने आदि के सम्बन्ध में शासन के सम्मुख ससमय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना तथा ससमय योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर कोई नियम विरूद्ध तरीके से वित्तीय

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न्ड,पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

उपासय व्यय किये जाते हैं उसका निर्धारण करते हुए प्रस्ताव शासन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना।

(ड) राज्य के संस्कृत साहित्य के साहित्यकारों, विद्वानों को फैलोशिप, सम्मान, प्रशस्ति आदि हेतु सम्मान समारोह आयोजित करना तथा इस हेतु नियम एवं उपनियम तैयार करना।

(ण) अध्यक्ष के सम्मुख सदस्यों द्वारा कोई विषय लाये जाने पर उस पर विचार करना तथा उस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करना।

7. सामान्य समिति की बैठकें –

(क) सामान्य समिति की बैठक की अध्यक्षता अकादमी के अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।

(ख) सामान्य समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार आयोजित की जायेगी।

(ग) विशेष बैठक भी अध्यक्ष द्वारा या शासी निकाय के सदस्यों के प्रस्ताव पर आहूत की जा सकेगी।

8. बैठक की सूचना –

सामान्य समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिए सचिव, संस्कृत अकादमी द्वारा पन्द्रह दिन पूर्व समस्त पदाधिकारियों को सूचना प्रेषित की जायेगी, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में दस दिन पूर्व भी सूचना देकर सामान्य समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक की सूचना यथासंभव ई–मेल/electronic संचार माध्यमों से भी दी जा सकेगी। बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों/आवश्यक अभिलेखों, कार्य एवं अन्य बिन्दुओं के समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों को सदस्यों को बैठक से पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी अतिरिक्त विषय को अपरिहार्य परिस्थितियों में शामिल करना आवश्यक है, तो इस हेतु अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

9. शासी निकाय की बैठकें –

(क) शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन करेंगे।

(ख) शासी निकाय की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार आयोजित की जायेगी।

(ग) विशेष बैठक भी मुख्य सचिव या कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रस्ताव पर आहूत की जा सकेगी।

(घ) शासी निकाय की बैठक की सूचना एवं प्रस्ताव सचिव, संस्कृत अकादमी द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विशेष परिस्थितियों में सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति के अनुरोध पर अथवा अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिये विशेष बैठक आहूत की जा सकेगी।

(ङ) आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणी समिति के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार निर्वहन किये गये कार्यों की पुष्टि/कार्योत्तर स्वीकृति शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में किया जाना आवश्यक होगा।

(च) शासी निकाय की किसी बैठक के लिये दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्रावाला हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

आवश्यक होगी।

(छ) बैठक की सूचना यथासंभव ई–मेल/electronic संचार माध्यमों से भी दी जा सकेगी।

10. कार्यकारिणी समिति की बैठक–

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जायेगी।

(ख) अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठ सदस्य की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को बैठक का अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकेगा।

(ग) सामान्यतया कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार आकस्मिक बैठक आयोजित करने हेतु सक्षम होंगे।

(घ) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना/प्रस्ताव सचिव, संस्कृत अकादमी द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विशेष परिस्थितियों में सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिये विशेष बैठक आहूत की जा सकेगी।

(ङ) सचिव, अध्यक्ष से परामर्शोपरान्त सम्बन्धित समिति की बैठक आयोजित करायेंगे।

(च) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां तथा उनके अनुपालन से सम्बन्धित अभिलेख रखने का उत्तरदायित्व सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी का होगा। सचिव बैठकों का कार्यवृत्त एवं अनुपालन की स्थिति से अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को समय–समय पर अवगत करायेंगे तथा आगामी बैठक में पुष्टि करायेंगे।

(छ) कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक के लिये दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(ज) संस्कृत अकादमी के कार्यो पर नियंत्रण रखना एवं समय–समय पर निरीक्षण कर निर्देश देना।

(झ) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा तथा दोनों पक्षों के समान सहमति की दशा में निर्णायक मत का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

(ञ) कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक के अध्यक्ष के निर्देशन में संचालित होगी और इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की प्रक्रिया और मामलों में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय जोकि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित हो अन्तिम माना जायेगा।

(ट) बैठक की सूचना यथासंभव ई–मेल/electronic संचार माध्यमों से भी दी जा सकेगी।

11. सामान्य समिति के अध्यक्ष के कार्य –

(क) संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करना तथा विशेष बैठक बुलाया जाना।

(ख) संस्कृत अकादमी के कार्यों को सामान्य समिति के कर्तव्य एवं दायित्व के अनुरूप कार्यवाही करना एवं पूर्ण किया जाना।

(ग) शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर धन की व्यवस्था एवं वार्षिक

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, रानीपुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

कार्ययोजना तथा वार्षिक आय–व्ययक पर विचार करना करना तथा आवश्यकता होने पर सचिव, संस्कृत अकादमी एवं कोषाध्यक्ष से अकादमी के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख एवं रिपोर्ट प्राप्त करना।

(घ) सदस्यों द्वारा संज्ञानित कराये जाने अथवा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रकरण अध्यक्ष के सम्मुख लाये जाने की स्थिति में ऐसे उन प्रकरणों में अपने सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करना।

12. **सामान्य समिति के उपाध्यक्ष के कार्य –**

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जाना एवं सामान्य समिति के अध्यक्ष से अनुमति लेकर उपाध्यक्ष यथासमय सामान्य समिति की बैठकों का आयोजन कर सकेंगें।

(ख) अध्यक्ष, सामान्य समिति द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।

13. **कोषाध्यक्ष के कार्य एवं दायित्व–**

(क) अकादमी के कोषाध्यक्ष की नियुक्ति/तैनाती राज्य सरकार की नीति/विहित प्रक्रिया के अनुसार शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) कोषाध्यक्ष द्वारा अकादमी के सभी वित्तीय कार्यों का प्रबन्धन तथा लेखा–जोखा एवं अभिलेखों का रख रखाव विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने का दायित्व कोषाध्यक्ष का होगा।

(ग) कार्यकारिणी समिति के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अधीन संस्थान को स्वीकृत अनुदान या अन्य धनराशियों के नियमानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

(घ) संस्कृत अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विहित प्रक्रियानुसार गठित समितियों में वित्त प्रबन्धन करना एवं समितियों को सहायता/सहयोग/सुझाव देना।

(ङ) आय–व्ययक एवं वित्तीय मामलों में सचिव, संस्कृत अकादमी को परामर्श अथवा सहयोग प्रदान करना तथा कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अपव्ययता एवं अनियमितताओं के लिये सचिव, संस्कृत अकादमी के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होना।

(च) संस्कृत अकादमी का विहित प्रक्रियानुसार कोई वित्तीय खाता संचालित हो तो उसका संचालन करना तथा विहित प्रक्रियानुसार आवश्यकता होने पर अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना।

(छ) संस्कृत अकादमी के वित्तीय प्रबन्ध में कोई वित्तीय अनियमितता आदि कोई तथ्य संज्ञानित होने पर शासन के सम्मुख लिखित रूप से सूचित किया जाना।

14. **सचिव, संस्कृत अकादमी की नियुक्ति, कार्य एवं दायित्व –**

(क) संस्कृत अकादमी के सचिव की नियुक्ति अधिसूचित सेवा नियमों के अनुसार विहित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जायेगी। या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन की अस्थायी रूप से की जायेगी।

(ख) संस्कृत अकादमी के समस्त प्रशासनिक, कार्यों का संचालन करने का दायित्व

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रन्थ.पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

सचिव, संस्कृत अकादमी का होगा। अकादमी के समस्त प्रशासनिक कार्य एवं गतिविधियों का संचालन विहित प्रक्रिया के अनुसार उनके नियंत्रणाधीन होंगी तथा उनका समय–समय पर समीक्षा, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण आदि के दायित्वों का निर्वहन कार्यकारिणी में लिये गये निर्देशानुसार एवं जारी कार्यवृत्त के अनुसार विहित प्रक्रियानुसार पूर्ण करेंगे तथा समय–समय पर शासन की अपेक्षानुसार सभी तथ्यों एवं अभिलेखों को बिना विलम्ब किये प्रस्तुत करेंगे तथा निर्देशानुसार बैठकों में प्रतिभाग करेंगे।

(ग) शासी निकाय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को तैयार किया जाना तथा उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना तथा बैठकों आदि का संचालन करना, बैठकों को बुलाये जाने हेतु पत्राचार करना तथा सदस्यों द्वारा मांगे जाने वाले समस्त अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाना तथा संस्कृत अकादमी के सुव्यवस्थित नियमानुसार संचालन के समस्त उपायों/वार्षिक कार्ययोजना /वार्षिक आय–व्ययक तथा लेखा तैयार करना तथा शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को पूर्ण करना।

(घ) सामान्य समिति, शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें आमन्त्रित करना तथा बैठकों हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित् करना।

(ङ) सामान्य समिति, शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की कार्यसूची/ कार्यवृत्त तैयार करना एवं उसका अनुपालन करना एवं समितियों द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर आख्या तैयार कर प्रस्तुत करना।

(च) सामान्य समिति, शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये अकादमी के वार्षिक रिर्पोट, आय–व्ययक एवं कार्यक्रमों का प्रतिवेदन तैयार करना तथा वार्षिक प्रतिवेदनों को शासन को प्रेषित करना।

(छ) अकादमी की निधि को कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर विहित प्रक्रियानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना तथा प्रबन्धन करना।

(ज) कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के अनुसार समिति की ओर से करारनामें का निष्पादन करना और उस पर हस्ताक्षर करना।

(झ) संस्कृत अकादमी का सचिव अकादमी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के निर्देशन एवं पथ–प्रदर्शन के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अकादमी के समुचित प्रशासनतंत्र के लिये समितियों एवं शासन के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(ञ) संस्कृत अकादमी की वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक आय–व्ययक का प्रबन्धन तथा कार्यकारिणी एवं शासी निकाय द्वारा निर्देशित एवं अनुमोदित प्रस्ताव का विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत तैयार करना।

(ट) कर्मचारी वर्ग के सदस्यों का कार्य आवंटन निर्धारित करना तथा उन पर अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण रखना तथा अनुशासनिक कार्यवाही आदि की अनुसंशा करना।

(ठ) सामान्य समिति, शासी निकाय का सह–सदस्य सचिव और कार्यकारिणी समिति या उसकी किसी उप समिति का सदस्य सचिव भी अकादमी का सचिव होगा।

(ड) अकादमी के समस्त समितियों की बैठकें आयोजित करना, कार्यवृत्त तैयार करना

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्की पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

I/85520/2022

तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ढ) अकादमी के समस्त लेखों का विहित प्रक्रिया के निर्देशानुसार कोषाध्यक्ष के नियमानुसार परामर्श से अपने उचित निर्देशन एवं नियंत्रण में विधिवत् रख–रखाव एवं संचालन करना।

(ण) अकादमी से सम्बन्धित सभी संविदायें तथा संलेख सचिव द्वारा निष्पादित तथा चैक आदि संक्राम्यकरण पत्रों पर सचिव के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष के भी संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होंगे तथा विभागीय साक्ष्य भी उपस्थित/हस्ताक्षरित होंगे।

Signed by Chandresh Kumar Yadav
Date: 22-12-2022 10:53:15
(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
9. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
10. गार्ड फाईल।

Signed by Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 22-12-2022 11:31:33
आज्ञा से,
(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न.पुर झाल हरिद्वार

Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 22/12/2022 11:48 AM

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार

कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–2027 पर विचार–विमर्श एवं चर्चा किये जाने हेतु सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सचिवालय स्थित देवेन्द्र शास्त्री भवन के सभागार में दिनांक 27 जुलाई, 2026 को कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे–

1.	**श्री दीपक कुमार** सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	**मा0 अध्यक्ष**
2.	**श्रीमती मंजू भारती** निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून	**सदस्य**
3.	**श्रीमती कुसुम मलेठा (प्रतिनिधि– सचिव, वित्त)** अनुसचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य प्रतिनिधि**
4.	**प्रो0 विनय कुमार** सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार	**सदस्य सचिव**
5.	**श्रीमती माया देवी** वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार	**सदस्य**
6.	**डॉ0 सुधारानी पाण्डेय** पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	**विशेष आमंत्रित सदस्य**
7.	**डॉ0 सुशील उपाध्याय** प्राचार्य, श्री चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार।	**विशेष आमंत्रित सदस्य**

09/2026

सचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

हरिद्वार

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–2027 पर विचार–विमर्श पूर्वक निम्नवत् निर्णय लिये गये–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रस्ताव सं0</th><th>प्रस्ताव विवरण</th><th>विचार–विमर्श एवं विहित निर्णय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>40.1</td><td>गत कार्यवाही की पुष्टि का प्रस्ताव।</td><td>सर्वप्रथम मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ वैदिक मंगलाचरण से किया गया। सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् द्वारा कार्यकारिणी समिति के मा० अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा समिति के सम्मुख दिनांक 15.07.2025 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 39वीं बैठक के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 की संक्षिप्त प्रगति आख्या का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं व परियोजनाओं की विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गई जिसमें पूर्व से संचालित विविध संस्कृत स्पर्धाएं, कवि सम्मेलन, संस्कृत संगोष्ठियाँ, विविध छात्रवृत्तियाँ, छात्र प्रतिभा सम्मान आदि कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अतिरिक्त नवाचार के दृष्टिगत संस्कृत उत्थान हेतु शैक्षिक भ्रमण, 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारम्भ, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला, संस्कृत ग्राम प्रदर्शिनी, संस्कृत कक्षाओं का संचालन, षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित संस्कृत झांकी आदि विशेष उल्लेखनीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख करते हुए ''उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी'' का नाम परिवर्तन कर 'उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्'' किये जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया।

उपस्थित सदस्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की भूरि प्रशंसा करते हुए अकादमी का नाम परिवर्तन कर ''उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्'' नाम किये जाने पर हर्ष एवं साधुवाद व्यक्त किया गया ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>40.2 (क)</td><td>वित्तीय वर्ष 2026–2027 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की स्वीकृति का प्रस्ताव।</td><td>वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवशेष कुल रू. 108.93 लाख (एक करोड़ आठ लाख तिरानवे हजार मात्र) तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में संस्थानम् हेतु प्राविधानित कुल रू. 361.51 लाख तीन करोड़ इकसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू. 470.44 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई–

(20 जुलाई 2026 तक का आय–व्ययक विवरण)
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष 2026–27 का विवरण</th><th>वेतन व अन्य भत्ते मद– 05</th><th>सहायक अनुदान मद– 56</th><th>पारिश्रमिक मद– 08</th><th>कुल योग</th></tr>
<tr><td>2025–26 का अवशेष</td><td>12.94</td><td>94.07</td><td>1.92</td><td>108.93</td></tr>
<tr><td>प्राविधानित धनराशि</td><td>61.51</td><td>300.00</td><td>-</td><td>361.51</td></tr>
<tr><td>स्वीकृत धनराशि</td><td>30.75</td><td>00.00</td><td>-</td><td>30.75</td></tr>
<tr><td>उपलब्ध धनराशि</td><td>43.69</td><td>94.07</td><td>1.92</td><td>139.68</td></tr>
<tr><td>व्यय धनराशि</td><td>20.14</td><td>24.26</td><td>-</td><td>44.40</td></tr>
<tr><td>अवशेष धनराशि</td><td>23.55</td><td>69.81</td><td>1.92</td><td>95.28</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

3.	**40.2 (ख) वार्षिक कार्ययोजना 2026–27** **संस्कृत स्पर्धाएं–** **40.2.1 (क)** **40.2.1 (ख)** **40.2.1 (ग)** **40.2.1 (घ)**	95 विकासखण्डों में खण्डस्तरीय संस्कृत स्पधाओं, 13 जनपदों में जनपदस्तरीय संस्कृत स्पर्धाओं एवं राज्यस्तर पर राज्यस्तरीय संस्कृत स्पर्धाओं का आयोजन तथा एकदिवसीय संयोजक प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव।	1. प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड के शासकीय, अशासकीय एवं संस्कृत विद्यालयों के साथ ही सभी केन्द्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, कॉन्चेन्ट स्कूलों को समय से स्पर्धाओं की सूचना पहुँचाने हेतु मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जाए। 2. जनपदीय संस्कृत स्पर्धाओं के सफल संचालन हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी को मार्गदर्शक एवं खण्डस्तरीय स्पर्धाओं हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी को मार्गदर्शक बनाया जाए। 3. प्रत्येक जनपद के सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा को स्पर्धाओं का समन्वयक बनाते हुए अपने–अपने जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड के सभी प्रकार के विद्यालयों का प्रतिभाग सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व दिया जाए। 4. स्पर्धाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी संयोजकों को स्पर्धाओं के आयोजन के साथ–साथ प्रत्येक विद्यालय तक अनिवार्यतया सूचना पहुंचाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। 5. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, सोशल मीडिया दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के माध्यम से स्पर्धाओं की सूचनाओं का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार हो सके, इस हेतु "मीडिया समिति" का गठन कर प्रभावी कार्यवाही संपादित की जाए। 6. राज्यस्तरीय संस्कृत स्पर्धाओं के आयोजन के पश्चात् संस्कृत नाटक की राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए जिसमें अन्य राज्यों के दलों को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाए। इस हेतु अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की Video Confrence के माध्यम से ई–बैठक करायी जाए। साथ ही अन्य राज्यों में यदि इस प्रकार की अ0भा0 संस्कृत स्पर्धाओं का आयोजन प्रस्तावित हो, तो वहाँ उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यस्तरीय स्पर्धा में अपने–अपने विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले समूह/व्यक्ति का प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। उक्त परामर्शों के साथ खण्डस्तरीय संस्कृत स्पर्धा, जनपदस्तरीय संस्कृत स्पर्धा, राज्यस्तरीय संस्कृत स्पर्धा एवं प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
4.	**40.2.1 (ङ) एवं 40.2.1 (च)**	अखिल भारतीय शलाका स्पर्धा एवं राज्यस्तरीय शंखनाद स्पर्धा के आयोजन का प्रस्ताव।	शास्त्ररक्षण परम्परा के अन्तर्गत शास्त्रार्थ स्पर्धा, अवधानी स्पर्धा आदि के साथ–साथ नवाचार के दृष्टिगत मूकाभिनय स्पर्धा का भी आयोजन कराये जाने हेतु योजना तैयार कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। उक्त परामर्श के साथ अखिल भारतीय शलाका स्पर्धा एवं राज्यस्तरीय शंखनाद स्पर्धा के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
5.	**40.2.1 (छ)**	वैदिक गणित पर ओलम्पियाड के आयोजन का प्रस्ताव।	1. सर्वप्रथम वैदिक गणित विशेषज्ञों की सूची तैयार कर वैदिक गणित पर ओलम्पियाड के आयोजन से पूर्व एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन संस्कृत मास/संस्कृत सप्ताह के अवसर पर किया जाए। 2. कार्यशाला में IIT रुड़की, तकनीकी विश्वविद्यालय एवं यू–कॉस्ट के विशेषज्ञों के साथ–साथ प्रदेश एवं अन्य राज्यों के विशेषज्ञों को परामर्श हेतु आमंत्रित किया जाए। 3. कार्यशाला का आयोजन ऑनलाईन किया जाए। उक्त परामर्श के साथ वैदिक गणित पर ओलम्पियाड के

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

			उक्त परामर्श के साथ वैदिक गणित पर ओलम्पियाड के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
6.	**प्रकाशन योजना 40.2.2 (क)**	स्थायी प्रकाशन योजना का प्रस्ताव।	1. स्थायी प्रकाशन योजना के अन्तर्गत समस्त साहित्य को PDF के माध्यम से भी जनसामान्य को उपलब्ध कराया जाए। 2. संस्थानम् के द्वारा मीडिया तंत्र विकसित किये जाने के उपरान्त 04 पृष्ठ के मासिक ई–पेपर का आरंभ किया जाए। उक्त परामर्श के साथ स्थायी प्रकाशन योजना के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
7.	**40.2.2 (ख)**	मौलिक/अनूदित पुस्तक प्रकाशन योजना का प्रस्ताव।	1. अन्य भाषाओं से संस्कृत भाषा में अनुवाद कार्य कराये जाने की अपेक्षया संस्कृत के प्रसिद्ध एवं चुने हुए ग्रन्थों का लोकभाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। 2. ग्रन्थों/अनुवाद/लेखन कार्य आदि का सत्यापन उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में कार्यरत प्रोफेसर आदि के माध्यम से भी कराया जाए जिस हेतु प्रस्ताव कुलपति, उ0सं0वि0 को उपलब्ध कराया जाए। 3. तीर्थाटन संहिता पुस्तक प्रकाशन के संबंध में "भण्डारकर प्राच्य शोध संस्थान, पुणे" ने कार्य किया है, अतः उनसे परामर्श लिया जाए। 4. विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा दून विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं/संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए संस्कृत ग्रन्थों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराये जाने की योजना संचालित की जाए। आवश्यकतानुसार संस्थाओं के साथ MOU किया जाए। उक्त परामर्श के साथ मौलिक/अनूदित पुस्तक प्रकाशन योजना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
8.	**शोध कार्य एवं परियोजनाएं 40.2.3 (क) एवं 40.2.3 (ख)**	शोध परियोजना एवं लघु पुस्तक लेखन परियोजना का प्रस्ताव।	1. योजनाओं के सम्यक् प्रचार–प्रसार हेतु 01 बार ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। विज्ञापन में वर्ष समाप्ति पर्यन्त कृतियों की प्राप्ति किये जाने का प्राविधान किया जाए तथा नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली कृतियों को आगामी वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाए। 2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्ग प्राप्त 04 कृतियों को वित्तीय वर्ष 2026–27 में संचालित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाए। उक्त परामर्श के साथ शोध कार्य एवं परियोजनाएं के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
9.	**40.2.3 (ग)**	मन्त्रचिकित्सा क्रियात्मक अनुसन्धान योजना का प्रस्ताव।	1. योजना के अन्तर्गत मंत्रोच्चारण हेतु जैसे कि पहले भी चर्चा की गयी थी, प्रारंभ में श्री गुरुरामराय लक्ष्मण सं0म0वि0/सं0वि0 के छात्रों की व्यवस्था संयोजक/प्राचार्य द्वारा की जाए। 2. क्रियात्मक अनुसंधान कार्य हेतु भी जैसे कि पहले भी चर्चा की गयी थी, व्यवस्था प्रारंभ में इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून के द्वारा की जाए। 3. उपरांत अन्य चिकित्सालय विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों के माध्यम से तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सहयोग से भी चर्चा कर सम्पादित किया जा सकता है। उसे अगली कार्यकारिणी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। 4. उक्त कार्यों के निर्धारणार्थ एवं क्रियान्वयन हेतु अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में बैठक आहूत की जाए। 5. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय विवरण को अस्वीकृत करते हुए आगामी कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये जाने के

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

			उक्त परामर्शों एवं संशोधनों के साथ मन्त्रचिकित्सा क्रियात्मक अनुसन्धान योजना के क्रियान्वयनमात्र की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
10.	**40.2.3 (घ)**	शोधप्रविधि प्रबोधन कार्यशाला का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से उक्त कार्यशाला का आयोजन पूर्णतया ऑनलाईन कराये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	**40.2.3 (ङ)**	उत्तराखण्ड संस्कृत विद्वत्परम्परा अनुसन्धान योजना	उत्तराखण्ड के जनपदशः विद्वानों/लेखकों के विवरण संकलन एवं सूचीकरण कार्य हेतु निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी बनाये जाने के परामर्श के साथ उक्त उत्तराखण्ड संस्कृत विद्वत्परम्परा अनुसन्धान योजना के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
12.	**विविध सम्मेलन एवं गोष्ठियां 40.2.4 (क) 40.2.4 (ग)**	अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक शोध सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का प्रस्ताव।	1. अन्तर्राष्ट्रीय वेदवेदांग सम्मेलन का आयोजन कराया जाए तथा इसमें ज्योतिष विद्या संबंधित विषयों को अन्तर्निहित करते हुए सम्मेलन का आयोजन 03 दिवसों का किया जाए। 2. उक्त आयोजन में सहयोग/प्रायोजक हेतु किसी मीडिया संस्थान को भी पार्टनर बनाया जा सकता है जिस हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ0 सुशील उपाध्याय सहयोग एवं संयोजन करेंगे। 3. सम्मेलन हेतु आवश्यक Google Form का Link आदि निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को अनिवार्यतया उपलब्ध कराया जाए जिससे संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों का अधिकाधिक प्रतिभाग सुनिश्चित कराया जा सके। 4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति से परामर्श के उपरान्त कार्यक्रमों के आयोजन की तिथियाँ निर्धारित की जाएं। उक्त परामर्शों एवं संशोधनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय वेदवेदांग सम्मेलन के प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
13.	**40.2.4 (ख)**	अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन का प्रस्ताव।	अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
14.	**40.2.4 (घ)**	संस्कृत महिला सम्मेलन का प्रस्ताव।	1. महिला सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजनार्थ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रो0 बिन्दुमती द्विवेदी आदि वरिष्ठ शिक्षिकाओं को कार्यक्रम का संयोजक बनाया जाए। 2. विशेष आमंत्रित सदस्य पूर्व कुलपति डॉ0 सुधारानी पाण्डेय से परामर्श के उपरान्त ही संस्कृत महिला सम्मेलन के आयोजन के क्रियान्वयन की कार्यवाही सम्पादित की जाए। उक्त परामर्शों के साथ संस्कृत महिला सम्मेलन के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
15.	**40.2.4 (ङ)**	संस्कृत सप्ताह एवं संस्कृत मास महोत्सव का आयोजन का प्रस्ताव।	1. संस्कृत सप्ताह के अन्तर्गत 02 स्थानों पर (एक गढ़वाल एवं एक कुमाँऊ) विशाल संस्कृत शोभायात्राओं का आयोजन किया जाए। 2. संस्कृत दिवस/रक्षा बंधन के पर्व के दृष्टिगत माननीय राज्यपाल महोदय, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 संस्कृत शिक्षामंत्री जी, सचिव संस्कृत शिक्षा आदि के द्वारा संस्कृत में शुभकामना संदेशों को प्रसारित–प्रचारित कराया जाए। 3. संस्कृत मास में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उक्त परामर्शों के साथ संस्कृत सप्ताह एवं संस्कृत मास

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

			गहोत्तराव के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
16.	**40.2.4 (च)**	एकदिवसीय व्याख्यानमालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन का प्रस्ताव।	उक्त प्रस्तावित एकदिवसीय व्याख्यानमालों/संगोष्ठियों को संस्कृत भारा में ऑनलाईन करवाये जाने हेतु संशोधनपरक स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
17.	**40.2.4 (छ)**	विविध जयन्ती के आयोजन का प्रस्ताव।	प्रत्येक जयंती के आयोजन में किसी जनप्रतिनिधि को अवश्य बुलाये जाने के परामर्श के साथ विविध जयन्ती के आयोजन के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
18.	**40.2.4 (ज)**	संस्कृत संवाददाता प्रशिक्षण एवं अ. भा. संस्कृत पत्रकार सम्मेलन का प्रस्ताव।	उक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं सम्यक् विचार–विमर्श के उपरांत संस्कृत संवाददाता प्रशिक्षण एवं अ.भा. संस्कृत पत्रकार सम्मेलन का संयोजन विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ0 सुशील उपाध्याय के सहयोग से अयोजित किये जाने के परामर्श के साथ प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
19.	**40.2.4 (झ)**	लोक कलाकारों की एकदिवसीय संगोष्ठी का प्रस्ताव।	विशेष आमंत्रित सदस्य पूर्व कुलपति डॉ0 सुधारानी पाण्डेय के दिशा–निर्देश एवं परामर्श के उपरान्त ही लोक कलाकारों की एकदिवसीय संगोष्ठी के आयोजन की कार्यवाही किये जाने के परामर्श के साथ प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
20.	**40.2.4 (ञ)**	उत्तराखण्ड–कर्नाटक संस्कृति संगम का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
21.	**सम्मान एवं छात्रवृत्ति योजना 40.2.5 (क)**	संस्कृत विद्वत्सम्मान योजना का प्रस्ताव।	1. योजना के अन्तर्गत सभी प्रस्तावित सम्मान प्रान्तीय हों। 2. संस्कृत समाराधक सम्मान संस्कृत युवाओं के लिए रखे जाएं। 3. उत्तराखण्ड के संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान प्रो0 वाचस्पति गैरोला एवं आचार्य दिनेश जोशी जी जैसे नामों से भी सम्मानों के नाम रखे जाएं। 4. स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्र में सम्मान दिया जाए। 5. प्रस्तावित सम्मान एवं सम्मान राशि के आकलन हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा दिये जाने वाले सम्मानों का तुलनात्मक विश्लेषण किये जाने के उपरांत विस्तृत प्रस्ताव अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 6. संस्कृत विद्वत्सम्मान योजना पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के निर्णयोपरान्त प्रदत्त निर्देशानुसार ही संस्कृत विद्वत्सम्मान के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
22.	**40.2.5 (ख)**	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान का प्रस्ताव।	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
23.	**40.2.5 (ग)**	डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनु.जाति एवं अनु.जनजाति छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव।	डॉ. भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
24.	**40.2.5 (घ)**	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव।	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
25.	**40.2.5 (ङ)**	महर्षि वेदव्यास शोध छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव।	शोध छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
26.	**40.2.5 (च)**	महर्षि पाणिनि उत्कृष्ट संस्कृत विद्यालय पुरस्कार योजना का प्रस्ताव।	योजना के क्रियान्वयन हेतु सर्कुलर जारी कर विद्यालयों से आवेदन पत्र मांगे जाएं तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालित योजना के अन्तर्गत प्राप्त एवं अर्ह आवेदनों को वित्तीय वर्ष

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

			2026–27 हेतु सम्मिलित किया जाए। उक्त निर्देशों के साथ प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
27.	40.2.5 (छ)	संस्कृत पत्र–पत्रिका प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव।	1. संस्कृत समाचार पत्रों हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाए। 2. यदि उत्तराखण्ड भाषा संस्थान में इस हेतु कोई मानक निर्धारित किये गये हों, तो सर्वप्रथम उनका अध्ययन/विश्लेषण कर लिया जाए। 3. योजना के क्रियान्वयन, संयोजन एवं मानक निर्धारण/विश्लेषण हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ0 सुशील उपाध्याय से परामर्श प्राप्त किया जाए। उक्त निर्देशों के साथ संस्कृत पत्र–पत्रिका प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
28.	40.2.5 (ज)	मा. सांसद–विधायक संस्कृत सम्मान योजना का प्रस्ताव।	प्रस्तावित कार्यक्रम को संस्कृत मास में आयोजित किये जाने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
29.	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला योजना 40.2.6 (क)	सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण योजना का प्रस्ताव।	1. सर्वप्रथम संस्कृत संभाषण हेतु पाठ्यक्रम का वांछित Module (7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, BBC इत्यादि वेब साइट की तर्ज पर) को अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदुपरांत ही प्राप्त निर्देशानुसार योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही संपादित की जाए। 2. समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन एवं साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पादित कर यथाशीघ्र संस्कृत संभाषण कक्षा हेतु 01 प्रशिक्षक की व्यवस्था कर ली जाए। उक्त निर्देशों के साथ सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण योजना के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
30.	40.2.6 (ख)	संस्कृत शिक्षकों के कौशल विकास हेतु कार्यशाला का प्रस्ताव।	निदेशक, 'संस्कृत शिक्षा' से वांछित संस्कृत शिक्षकों की सूची प्राप्त कर 01 बार में ही समेकितरूप से संस्कृत शिक्षकों के कौशल विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन किये जाने के निर्देश के साथ उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
31.	40.2.6 (ग)	षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला का प्रस्ताव।	वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशालाओं के प्रशिक्षार्थियों की सूची एवं उनके फीडबैक का विवरण उपलब्ध कराये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में केवल एक ही 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने का निर्णय लेते हुए षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
32.	40.2.6 (घ)	संस्कृत छात्र सिविल सेवा निःशुल्क कोंचिग एवं प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव। 6/8/2026 सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् हरिद्वार	1. संस्कृत विषय के अध्यापन की व्यवस्था उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा करायी जाए। संस्थानम् के द्वारा केवल 'सामान्यज्ञान' विषय के प्रशिक्षकों हेतु मानदेय की व्यवस्था की जाए। 2. संस्थानम् के द्वारा प्रशिक्षार्थियों हेतु किसी भी प्रकार की भोजन, आवास आदि अन्य व्यवस्थायें नहीं की जायेगी। 3. संस्कृत विषय से सिविल सेवा में कार्यरत/सेवा निवृत्त अधिकारियों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाए। 4. योजना के संचालन हेतु सचिव, संस्कृत संस्थानम् की अध्यक्षता में उपनिदेशक, संस्कृत शिक्षा, कुल सचिव उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के 01 वरिष्ठ प्रोफेसर की समन्वय समिति गठित की गई। समिति का

			समन्वयक कुल सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को बनाया जाय। 5. प्रशिक्षण का संचालन ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों ही माध्यमों से किया जाए। 6. संस्कृत माह में इस हेतु 01 ऑनलाईन कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए। उक्त निर्देशों एवं संशोधनों के साथ संस्कृत छात्र सिविल सेवा निःशुल्क कोचिंग एवं प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
33.	**40.2.6 (ङ)**	प्राथमिक व माध्यमिक के संस्कृत शिक्षकों के कौशल विकास हेतु आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रस्ताव।	उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त प्रत्येक विकासखण्ड से 01–01 संस्कृत शिक्षक को बुलाये जाने एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में केवल एक ही प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने के निर्देश व प्रस्ताव–संशोधन के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
34.	**40.2.6 (च)**	मिशनकर्मयोगी के अन्तर्गत संस्कृतछात्र व शिक्षक AI प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रस्ताव।	1. कार्यशाला का आयोजन ऑनलाईन किया जाए। 2. कार्यशाला का आयोजन 02 दिन किया जाए जिसमें पहले दिन संस्कृत से छात्रों एवं शिक्षकों हेतु तथा दूसरे दिन सभी वरिष्ठ अधिकारियों हेतु निर्धारित किया जाए। उक्त निर्देशों एवं प्रस्ताव–संशोधन के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
35.	**40.2.6 (छ)**	अध्ययन केन्द्र का संचालन (मान्यता प्राप्त उत्तराखण्ड मुक्त वि. वि.) का प्रस्ताव।	1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से 06–06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित कराये जाएं। 2. वर्तमान में संचालित किये जा रहे कर्मकाण्ड आदि 03 विषयों के अतिरिक्त संस्कृत से संबंधित अन्य विषयों में भी कोर्स संचालित कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देशों के साथ अध्ययन केन्द्र का संचालन योजना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
36.	**40.2.6 (ज)**	वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना का प्रस्ताव।	वेद अध्ययन केन्द्र संचालन का प्रस्ताव यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
37.	**40.2.7**	आदर्श संस्कृत ग्राम अवस्थापना एवं विस्तार योजना का प्रस्ताव।	1. संस्कृत ग्रामों में प्रशिक्षकों के संयोजन हेतु निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण करते हुए प्रशिक्षक की योग्यता न्यूनतम 12वीं/समकक्ष किया जाए। मुख्य योग्यता "संस्कृत संभाषण में दक्ष" निर्धारित की जाए। इस हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को भी सूचित किया जाय। 2. संस्कृत ग्राम की महिलाओं व बालिकाओं को विशेषरूप से संस्कृत संभाषण में समर्थ बनाया जाए जिससे उन्हीं संस्कृत ग्रामों में उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। 3. जिन संस्कृत ग्रामों में प्रशिक्षक नहीं हैं, उनके लिए विज्ञापन प्रकाशित/सर्कुलर जारी कर साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही की जाए। 4. संस्कृत प्रशिक्षकों हेतु प्रत्येक मास में 01 अवकाश निर्धारित किया जाए। 5. किसी एक जिले को 'संस्कृत साक्षरता' जिले के रूप में विकसित किया जाए। 6. संस्कृत ग्रामों में पाठ्य–सामग्री, स्टेशनरी, प्रचार–प्रसार

10/12/2025
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

			सामग्री, बोर्ड, कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्त व्यवस्था के लिए संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में संस्कृत ग्रामों के लिए प्राविधानित 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव निदेशक, संस्कृत शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए। 7. संस्कृत संभाषी प्रशिक्षकों की उपलब्धता हेतु "प्रान्त संघटनमंत्री, संस्कृत भारती उत्तराखण्ड" को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए। 8. सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में 10 अगस्त को शुभारम्भ दिवस के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्कृतापरक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। उक्त निर्देशों एवं संशोधनों के साथ आदर्श संस्कृत ग्राम अवस्थापना एवं विस्तार योजना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
38.	शिक्षण सहायता एवं अनुदान परियोजना **40.2.8 (क)**	प्रबन्धकीय शिक्षण सहायता एवं अनुदान योजना का प्रस्ताव।	प्रबन्धकीय शिक्षण सहायता एवं अनुदान के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
39.	**40.2.8 (ख)**	राजकीय शिक्षक मानदेय सहायता योजना का प्रस्ताव।	सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 13 शिक्षकों हेतु मानदेय दिये जाने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव को संशोधन सहित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
40.	**40.2.8 (ग)**	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय 'स्मार्ट क्लास' सहायता योजना का प्रस्ताव	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय हेतु 'स्मार्ट क्लास' के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
41.	**40.2.8 (घ)**	गैर अनुदानित संस्कृत गुरुकुल आर्थिक सहायता योजना का प्रस्ताव।	गैर अनुदानित संस्कृत गुरुकुल आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
42.	**पुस्तकालय योजना 40.2.9 (क)**	पुस्तकालय अभिवर्धन परियोजना का प्रस्ताव।	संस्थानम् के पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों के कैटलॉग बनाये जाने के कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त ही पुस्तक क्रय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। पुस्तकालय में भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में यथा IGNCA इत्यादि की पुस्तक क्रय किये जाने का प्रस्ताव कार्यकारणी अध्यक्ष के सम्मुख रखें जाये। योजनान्तर्गत शेष अन्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
43.	**40.2.9 (ख)**	प्रतियोगिता परीक्षा स्वाध्याय केन्द्र संचालन परियोजना का प्रस्ताव।	प्रतियोगिता परीक्षा स्वाध्याय केन्द्र के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
44.	**40.2.10**	भारतीय ज्ञान परम्परा से सम्बन्धित संस्कृत झाँकी का प्रस्ताव।	झांकी निर्माण का कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित फर्म के द्वारा कराया जाए तथा झांकी निर्माण का कार्य रू. 08.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) अथवा टेडर द्वारा निर्धारित जो भी कम हो की धनराशि के अन्तर्गत ही कराया जाए। उक्त निर्देशों एवं संशोधन के साथ संस्कृत झांकी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
45.	**40.2.11**	अल्पसंख्यक संस्थान समन्वय योजना का प्रस्ताव।	संस्कृत मास में ऑनलाईन कार्यशाला का भी आयोजन किये जाने निर्देश के साथ उक्त प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
46.	**40.2.12**	संस्कृत उन्नयन हेतु शैक्षिक भ्रमण योजना का प्रस्ताव।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना का विस्तृत विवरण (भ्रमण स्थान, तिथि, सदस्य, व्यय विवरण आदि) प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

47.	**संस्कृत प्रौद्योगिकी विस्तार योजना 40.2.13 (क)**	प्रौद्योगिकी कक्ष अवस्थापन व तन्त्रवृद्धि योजना का प्रस्ताव।	सर्वप्रथम प्रौद्योगिकी कक्ष के माध्यम से संपादित किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए तत्पश्चात् प्रस्तावित कार्यों की उपयोगिता सिद्ध होने पर हरिद्वार/देहरादून में निर्मित तकनीकी कक्षों को किराये पर संचालित कराये जाने का प्रस्ताव कार्यकारणी अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। उक्त निर्देशों एवं प्रस्ताव संशोधन के साथ कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
48.	**40.2.13 (ख)**	संस्कृत डाक्यूमैंट्री निर्माण योजना का प्रस्ताव।	बाह्यस्रोतों के माध्यम से भी डॉक्यूमेन्ट्री बनवाने के निर्णय लिए जाने के साथ संस्कृत डाक्यूमैंट्री निर्माण के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
49.	**40.2.13 (ग)**	संस्कृत सन्देश निर्माण योजना का प्रस्ताव।	संस्कृत सन्देश निर्माण के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
50.	**40.2.14**	भारतीय ज्ञान परम्परा प्रदर्शिनी अवस्थापन योजना का प्रस्ताव।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना का विस्तृत विवरण (प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं तत्सापेक्ष व्यय आदि) प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
51.	**40.2.15**	आकस्मिक कार्यक्रम का प्रस्ताव	आकस्मिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
52.	**विविध प्रस्ताव 40.2.16 (क)**	**40.2.16 (क–01)** संस्थानम् की वार्षिक कार्ययोजना 2026–27 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यों के सम्पादनार्थ/ संचालनार्थ/आयोजनार्थ सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् द्वारा आवश्यकतानुसार समितियों/उपसमितियों का गठन किया जाना।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
53.		**40.2.16 (क–02)** संस्थानम् के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यों के सम्पादन हेतु आमन्त्रित विद्वानों को निर्धारित यात्राव्यय एवं यात्राभत्ता आदि दिया जाना तथा निजी वाहन से यात्रा करने वाले सम्मानित सदस्यों/विद्वानों/शिक्षकों को नियमानुसार पैट्रोल वाहन हेतु रु.6.75/– एवं डीजल वाहन हेतु रु.5.25/–) के अनुसार यात्राव्यय दिये जाने का प्रस्ताव। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रमुख/निदेशक/ सचिव/सदस्य आदि को आमन्त्रित किये जाने पर निर्धारित मानदेय व वाहन/निजी वाहन/ए.सी.02/वायुयान आदि का यात्राव्यय दिये जाने का प्रस्ताव।	उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित कर उत्तराखण्ड के अन्य विश्वविद्यालयों एवं लोक सेवा आयोग आदि अन्य संस्थाओं में यात्राव्यय हेतु निर्धारित मानकों का विश्लेषण/अध्ययन कर औचित्य सहित विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। शेष प्रस्तावों को यथाप्रस्तावित स्वीकृत किया गया।
54.		**40.2.16 (क–03)** उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् मा0 सामान्य समिति में मनोनीत प्रत्येक मा0 सदस्यों/विद्वानों को प्रति बैठक में उपस्थित होने पर मानदेय रु. 3000/–(रूपये तीन हजार मात्र) व नियमानुसार यात्राव्यय, आवासादि की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
55.		**40.2.16 (क–04)** संस्थानम् के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संचालनार्थ आहूत बैठकों में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के संस्कृत विद्वानों/सदस्यों को मानदेय रु. 1500/–(रूपये एक हजार पाँच सौ मात्र) तथा अन्य प्रदेशों के विद्वानों/सदस्यों को मानदेय रु. 2500/– (रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
56.		**40.2.16 (क–05)** संस्थानम् द्वारा आहूत विभिन्न समितियों/उपसमितियों की बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले आमन्त्रित विद्वानों/सदस्यों को रु. 250/–(रु. दो सौ पचास मात्र) की नियत दर से	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

		स्थानीय यात्रा व्यय दिये जाने का प्रस्ताव।	
57.		**40.2.16 (क–06) संस्थानम् के कार्यालय में अग्रदाय (पी आई0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में–** संस्थानम् के कार्यालय में दैनिक व आवश्यक विविध कार्यों को तत्काल सम्पादित किये जाने हेतु अग्रदाय (पी.आई.) हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि करते हुए रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
58.		**40.2.16 (क–07)** संस्थानम् के अनेकविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु संस्थानम् के कार्मिकों आदि के गमनागमन, आवास, भोजन, वाहन आदि की व्यवस्था कार्यालय मद से किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
59.	**40.2.16 (ख)**	**40.2.16 (ख–01) – गत वर्ष की अवशेष अनुदानित धनराशि तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित अनुदान धनराशि का उपयोग–** वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवशेष कुल रु. 108.93 लाख का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राविधानित धनराशि रु. 361.51 लाख सहित कुल धनराशि रु. 470.44 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) को योजनानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
60.		**40.2.16 (ख–02) – एक योजना एवं मद की अवशेष धनराशि का उपयोग दूसरी योजना एवं मद के लिए किये जाने के सम्बन्ध में– सहायक अनुदान मानक मद संख्या– 56 के अन्तर्गत** संस्थानम् की विविध योजना एवं मद में धनराशि का स्थापन अनुमानित के तौर पर किया गया है। अतः आवश्यकता पड़ने पर मद संख्या 56 सहायक अनुदान (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रस्तावित एक योजना व मद की अवशेष धनराशि का दूसरी योजना एवं मद के लिए व्यय किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
61.	**40.2.16 (ग)**	**बाह्यस्रोत एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का सम्पादन** उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् में पदों के सृजनाभाव में शोध व अनुवाद कार्य, टंकण, अतिथिगृह व ऑडिटोरियम व्यवस्था, वाहन चालन, परिचारण, स्वच्छता, उद्यान सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा आदि अत्यावश्यकीय कार्यों के सम्पादन में अत्यधिक बाधा व समस्या उत्पन्न होती है। अतः उक्त दैनिक कार्यों के निर्बाधरूप से सम्पादन हेतु पदसृजनाभाव में निम्न सेवाओं/श्रमिकों को बाह्यस्रोत एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।	सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त बाह्यस्रोत एजेंसी के माध्यम से निम्न सेवा लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया– शोध सहायक – 01 प्रकाशन सहायक – 01 अनुवादक – 01 सूचना प्रौद्योगिकी सहायक – 01 कनिष्ठ सहायक – 09 वाहन चालक – 02 परिचारक – 06 सफाईकर्मी – 04 सुरक्षाकर्मी गनमैन सहित – 07 माली – 04 **कुल 36** उक्त के साथ ही सभी श्रमिकों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश दिये जाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया

5/12/26

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

62.	**40.2.16 (घ)**	मा. सामान्य समिति, शासी निकाय एवं शासन की समीक्षा बैठकों के निर्देषों के अनुपालन में किये जाने वाले कार्य एवं कार्यक्रमों का प्रस्ताव।	उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तुत तालिका में क्रमांक 01 से 21 तक पर उल्लिखित योजनाओं/ कार्यक्रमों को यथावश्यक ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन आयोजित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
63.	**40.3**	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृत कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव–** संस्थानम् (पूर्व में अकादमी) के द्वारा शासन के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आयोजित किये गये अधोलिखित कार्यक्रमों पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव– **क्र. \| कार्यक्रम \| धनराशि** 1. संस्कृत ग्राम उद्घाटन – 16,04,434.00 2. उत्तराखण्ड रजत जयन्ती महोत्सव (राज्य स्थापना दिवस) पर प्रदर्शिनी – 5,03,414.00 3. "प्रगतिशील उत्तराखण्ड" के अवसर पर संस्कृत प्रदर्शिनी – 8,93,802.00 4. प्रयोगात्मक षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला– – 1,25,970.00 5. विविध कार्यक्रमों के बैनर व प्रमाण पत्र आदि प्रकाषन पर व्यय के अवशेष का भुगतान – 58,763.00 **कुल योग – 31,86,383.00**	वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में कृत कार्यों की कुल रू. 31,86,383.00 (रूपये इकतीस लाख छियासी हजार तीन सौ तिरासी मात्र) की धनराशि के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
64.	**40.4 (क)**	**वित्तीय वर्ष 2026–27 में आयोजित कार्यक्रमों/कार्यों के देयकों का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कृत भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव–** संस्थानम् द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृत कार्यक्रमों/कार्यों के देयकों का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये अधोलिखित भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव– **क्र. \| कार्यक्रम \| धनराशि** 1. संस्कृत ग्राम प्रदर्शिनी (07 मार्च, 2026) – 893802 2. षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला – 125970 3. पटका क्रय – 47876 4. प्रकाशन (पर्वकौमुदी, कैलेण्डर, बृहद् चार्ट) – 76466 5. कवि सम्मेलन (कवियों का स्थानीय व्यय) व वैनर प्रमाण पत्र प्रकाशन व्यय – 21142 6. संस्कृत ग्राम निरीक्षण – 4160 7. कौशल विकास कार्यशाला (यात्रा व्यय) – 9368 8. संस्कृत ग्राम प्रशिक्षक नियोजन हेतु विज्ञापन व साक्षात्कार व्यय – 14198 **कुल योग – 1192982** उक्त के अतिरिक्त संस्थानम् के सचिव पद के प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष रू07,92,014.00 व संस्थानम् के न्यायालयीय वादों हेतु विधिक सलाहकार की सेवा लिये जाने के सापेक्ष रू0 60,500.00 के भुगतान किये जाने का प्रस्ताव।	1. वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृत कार्यक्रमों/कार्यों के देयकों का वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किये गये कुल रू. 11,92,982.00 (रूपये ग्यारह लाख बयानवे हजार नौ सौ बयासी मात्र) की धनराशि के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 2. संस्थानम् के सचिव पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड के प्रदेश संस्करणों में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष ही धनराशि का भुगतान किया जाए। 3. संस्थानम् के विविध न्यायालयीय वादों के लिए शासन में पंजीकृत (Empanelled) विधिक सलाहकारों की ही सेवा ली जाए। 4. पूर्व में विधिक सलाहकार की सेवा लिये जाने का सापेक्ष रू. 60,500.00 के देयक का भुगतान कर दिया जाए। उक्त निर्देशों एवं संशोधनों के साथ प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

65.	**40.4 (ख)**	**01 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक कृत कार्यों/भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव–** संस्थानम् के द्वारा 01 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रत्याशा में नियमित कार्मिकों के वेतन, बाह्यस्रोत श्रमिकों के पारिश्रमिक आदि में व्यय किये गये कुल ₹ 11,97,000.00 (₹ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्तावानुसार कुल ₹ 11,97,000.00 (₹ ग्यारह लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
66.	**40.5**	**कुम्भ मेला 2027 के प्रस्तावित कार्यों का प्रस्ताव–** संस्थानम् के द्वारा कुम्भ मेला 2027 के अवसर पर संस्कृतमय वातावरण बनाये जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार मेला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा स्वीकृत कुल ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष संशोधित प्रस्ताव।	कुम्भ मेला 2027 के अवसर पर कुंभक्षेत्र में संस्कृतमय वातावरण बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव एवं बजट आदि के संबंध में कुंभ मेलाधिकारी, हरिद्वार के साथ संस्कृत मास में बैठक किये जाने के निर्देश के साथ प्रस्तुत 50.00 लाख के संशोधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
67.	**40.6**	कार्यालय अतिथि गृह, टाईप–4 आवास, ऑडिटोरियम आदि हेतु आवश्यक सामग्री क्रय/मरम्मत आदि कार्य कराये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्तुत प्रस्तावान्तर्गत कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली– 2017 एवं संशोधित 2025 में विहित प्राविधानों के तहत क्रय समिति के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
68.	**40.7**	**ई–स्कूटी क्रय करने का प्रस्ताव–** संस्थानम् के द्वारा कार्यालयीय कार्यों के सम्पादनार्थ मोटर साईकिल (Super Splendar, UK08P 7166) को निष्प्रयोज्य (स्क्रब) किये जाने तथा अनुमानित ₹ 1,50,000/– (₹ एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के अन्तर्गत नई ई–स्कूटी के क्रय किये जाने का प्रस्ताव।	ई–स्कूटी क्रय के प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
69.	**40.8**	**मुख्य भवन का रंग–रोगन एवं मरम्मत कार्य कराये जाने पर विचार–विमर्श–** संस्थानम् के दिव्य एवं भव्य भवन (संस्कृत भवन) के बाहरी आवरण एवं सम्पूर्ण द्वितीय तल का रंग रोगन व लघु मरम्मत कार्य (रेनोवेशन) कराये जाने का प्रस्ताव।	संस्थानम् के कार्यालय भवन के बाहरी आवरण (दीवारें, छत) एवं सम्पूर्ण द्वितीय तल के रंग रोगन का विस्तृत आगणन सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
70.	**40.9**	**अन्य विषय मा. अध्यक्ष जी के अनुमति से–** **40.9.1** – मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संस्थानम् में दिव्यांगों के लिए शौचालय का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव।	1. संस्थानम् में दिव्यांगों के लिए शौचालय का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विस्तृत आगणन प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
71.		**40.9.2** – 2024 में 15 वर्ष पूर्ण हो चुके संस्थानम् के वाहन संख्या– UK08P 3637 को (बुलेरो) को निष्प्रयोज्य (Scrab) किये जाने एवं नया वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव।	संस्थानम् के वाहन संख्या– UK08P 3637 को (बुलेरो) को निष्प्रयोज्य (Scrab) किये जाने की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही नये वाहन क्रय किये जाने प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

72.		**40.9.3** – संस्थानम् के 'सचिव' पद के पदनाम में परिवर्तन कर 'निदेशक' किये जाने का प्रस्ताव।	सचिव के पदनाम में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को आगामी शासी निकाय में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

उक्तानुसार प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट पर विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् के द्वारा कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(दीपक कुमार)
सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति,
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, हरिद्वार।

सचिव, संस्कृत शिक्षा/
अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
हरिद्वार।

पत्रांक संख्या– 769–774 /कार्या0/उ0सं0सं0/2026–27
दिनांक 05 ~~जुलाई~~ अगस्त 2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, संस्कृत शिक्षा को सचिव, संस्कृत शिक्षा के संज्ञानार्थ।
2. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सदस्य कार्यकारिणी समिति।
4. संस्कृत शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. संबंधित पत्रावली।

5/8/2026

(प्रो0 विनय कुमार)
सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार।

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,
(संस्कृत शिक्षा अनुभाग)
शासी निकाय की द्वितीय बैठक का
कार्यवृत्त

दिनांक 10.10.2024 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 11:45 बजे श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/पदेन मा0 अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार की शासी निकाय की द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही–

1. **श्री दीपक कुमार** — **सदस्य सचिव**
 सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. **श्री गंगा प्रसाद** — **सदस्य**
 अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
 (प्रतिनिधि–सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)
3. **श्री ललित मोहन रयाल** — **सदस्य**
 अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
 (प्रतिनिधि–सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन)
4. **सुश्री रजनी शुक्ला** — **सदस्य**
 अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
 (प्रतिनिधि–सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन)
5. **डॉ0 आनन्द भारद्वाज** — **सदस्य**
 निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
6. **डॉ0 वाजश्रवा आर्य** — **सह सदस्य सचिव**
 सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार

शासी निकाय की द्वितीय बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये–

प्रस्ताव बिन्दु सं.	विचार–बिन्दु	संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय
2.01	गत कार्यवाही की पुष्टि।	सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ वैदिक मंगलाचरण से किया गया। सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा शासी निकाय की मा0 अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा समिति के सम्मुख दिनांक 23.02.2023 को सम्पन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में कृत कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। गत कार्यवाही पर सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये–

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्रावाला हरिद्वार

		1. प्रवेशिका (प्राथमिक) पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रथमा पाठ्यक्रम अनुवाद योजना– निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा परामर्श दिया गया कि प्रवेशिका (प्राथमिक) तथा प्रथमा कक्षा हेतु पाठ्यक्रम बनाये जाने से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम पाठ्यचर्या बनायी जानी आवश्यक है। चूंकि संस्कृत विद्यालयों (प्राथमिक, प्रथमा एवं माध्यमिक) की कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम बनाये जाने हेतु "उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्" संस्थापित है, अतः प्राथमिक (प्राथमिक) एवं प्रथमा (कक्षा 06 से 08) की कक्षाओं हेतु पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का निर्माण "उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्" के समन्वय से किया जाए तथा तदुपरान्त पुस्तकों का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के माध्यम से कराया जाना समीचीन है। उक्त परामर्श पर उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। **2. अकादमी की सेवा नियमावली का प्रख्यापन तथा पदों के सृजन का प्रस्ताव–** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की सेवा नियमावली के प्रख्यापन तथा पदों के सृजन का यथासंशोधित प्रस्ताव तैयार कराया जाए। उक्तानुसार सम्यक् विचार–विमर्श पूर्वक लिये गये निर्णयों के उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से गत कार्यवाही की पुष्टि की गई।
2.02	**37वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट 2023–24 के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव–**	37वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कार्य योजना एवं बजट 2023–24 के सापेक्ष अकादमी द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संक्षिप्त प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया। साथ ही 37वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023–24 की कुल ₹ 740.89 लाख (₹ सात करोड़ चालीस लाख नवासी हजार मात्र) की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ₹ 453.31 लाख (₹ चार करोड़ तिरेपन लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि के कृत व्यय से संबंधित आय–व्ययक प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.03	**38वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं बजट 2024–25 के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव–**	38वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना 2024–25, वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष कुल धनराशि ₹ 156.78 लाख (₹ एक करोड़ छप्पन लाख अठहत्तर हजार मात्र) तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्राविधानित ₹ 365.51 लाख (₹ तीन करोड़ पैंसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कुल ₹ 522.29 लाख (₹ पाँच करोड़ बाईस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि के प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया है।
2.04	**वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष धनराशि के सापेक्ष 38वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा**	वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष कुल ₹ 156.78 लाख (₹ एक करोड़ छप्पन लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि में से दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से अध्यक्ष, कार्यकारिणी

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्रावाला हरिद्वार

	स्वीकृत एवं अन्य प्रस्तावित कार्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव–	समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में माह फरवरी–मार्च 2024 के देयकों का भुगतान किये जाने के उपरान्त मानक मद संख्या–56–सहायक अनुदान (गैर वेतन) की अवशेष कुल ₹ 51.58 लाख (₹ इक्यावन लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष 38वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत एवं अन्य प्रस्तावित कार्यों पर समिति द्वारा सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये– 1. **02 नये वाहनों का क्रय किया जाना**–अकादमी के 02 वाहनों (एम्बेसडर) के निष्प्रयोज्य किये जाने के उपरान्त शासकीय कार्यों के सम्पादनार्थ 02 नये वाहनों (बुलेरो) का क्रय किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 2. **अकादमी की बेवसाईट में Online Module बनाया जाना**– अकादमी के समस्त गति विधियों के लिए अकादमी के वेबसाईट में एन0आई0सी0 के माध्यम से Online Module बनाये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 3. **अतिथि भवन के कक्षों का व्यवस्थापन किया जाना**– प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पूर्व में की गयी चोरी की हानि पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा सर्वप्रथम भवन में सुरक्षा की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 4. **वेबसाईट का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाना**– प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 5. **संस्कृत सम्भाषण शिबिरों का आयोजन किया जाना**– उत्तराखण्ड सचिवालय, विधानसभा, राज्यपाल सचिवालय तथा मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय सहित कुल 04 स्थानों में "सरल संस्कृत सम्भाषण शिबिरों का आयोजन" किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 6. **संस्कृत ग्राम विस्तार हेतु परिचर्चा**– संस्कृत ग्रामों के विस्तार हेतु अनुभवों एवं विचारों के आदान–प्रदान किये जाने की दृष्टि से कर्णाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के संस्कृत ग्रामों से 03–03 सदस्यीय दल को आमंत्रित कर परिचर्चा किये जाने से संबधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 7. **वैदिक गणित के संबंध में एक दिवसीय संगोष्ठी**– उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त "वैदिक गणित" को प्रदेश की विविध शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने हेतु परामर्श दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में वैदिक गणित विषय पर "एक दिवसीय संगोष्ठी" के स्थान पर" कार्यशाला" का आयोजन उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्(USERK) के सहयोग से दून विश्वविद्यालय, देहरादून/उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी में कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 8. **"विवाह संस्कार" पर व्याख्यान माला का आयोजन**– उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "विवाह संस्कार/भारतीय दाम्पत्य

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्न्ड,पुर झाल हरिद्वार

		मर्यादा'' विषय पर त्रियुगीनारायण, घोड़ाखाल, जागेश्वर आदि धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों में उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के सहयोग से अधिकाधिक व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाए। साथ ही शास्त्रीय परम्परा के अनुसार ''विवाह संस्कार'' को सम्पादित कराये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 9. **''कर्नाटक–उत्तराखण्ड संगम'' का आयोजन किया जाना**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 10. **संस्कृत शिक्षकों के कौशल विकास हेतु कार्यशाला**–प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों के 100 शिक्षकों के कौशल विकास हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 11. **अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति'' के कक्ष का व्यवस्थापन**–प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 12. **दो संस्कृत विद्यालयों में ''स्मार्टक्लास'' की व्यवस्था किया जाना**– सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त 02 संस्कृत विद्यालयों (01 गढ़वाल मण्डल तथा 01 कुमाऊं मण्डल) में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 13. **तकनीकी कक्ष का व्यवस्थापन किया जाना**– अकादमी की गतिविधियों के प्रचार–प्रसार किये जाने तथा कार्यक्रमों/योजनाओं को सरलतया सम्पादित किये जाने हेतु अकादमी में तकनीकी कक्ष के व्यवस्थापन किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
2.05	अकादमी हेतु नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव–	सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त अकादमी हेतु कुल 32 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
2.06	अन्य विषय मा0 अध्यक्षा जी की अनुमति से।	(1) ''ऑनलाईन सरल संस्कृत प्रशिक्षण'' का पाठ्यक्रम तैयार किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। (2) अकादमी स्थित ''पाण्डुलिपि स्रोत केन्द्र'' के पुनः संचालनार्थ ''राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली'' को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। (3) अकादमी के नियमित कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ अद्यावधि न दिये जाने के संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा पत्रावली लम्बित रहने की स्थिति पर सार्वजनिक उद्यम विभाग को उक्त प्रकरण पर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उक्त प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। (4) डॉ0 सुधारानी पाण्डेय (पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार) एवं श्री ललित मोहन रयाल (अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन) को अकादमी की मा0 सामान्य समिति में ''विशेष आमंत्रित सदस्य'' के रूप में मनोनीत किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 अध्यक्ष, मा0 सामान्य समिति/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, टर्नर पुर झाल हरिद्वार

		उक्तानुसार कार्यसूची के प्रस्तावित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा शासी निकाय की द्वितीय बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए मा0 अध्यक्ष महोदया जी की अनुमति से बैठक की समाप्ति की गई।

(दीपक कुमार)
सचिव/सदस्य सचिव, शासी निकाय,
उत्तराखण्ड शासन।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष, शासी निकाय,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक सं0– 581 /शासी निकाय/उ0सं0अ0/2024–2025 दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त सदस्य, शासी निकाय।
6. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
7. कार्यालय प्रति।

(वाजश्रवा आर्य)
सचिव, उ0सं0अकादमी/सह सदस्य सचिव,
शासी निकाय।

लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग, हर्बर्टपुर झाल हरिद्वार

विचार बिन्दु एवं प्रस्ताव संख्या 40.2.16 (ख–01)

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत/प्राप्त/व्यय धनराशि विवरणः–

वित्तीय वर्ष	सहायक अनुदान मद (56)	वेतन मद (05)	पारिश्रमिक मद (08)	कुल धनराशि (लाख में)
2025–26 की अवशेष धनराशि	94.07	12.94	1.92	108.93
2026–27 हेतु स्वीकृत धनराशि	300.00	61.51	-	361.51
2026–27 हेतु अवमुक्त धनराशि	00.00	30.75	-	30.75
कुल धनराशि (अवशेष/अवमुक्त)	94.07	43.69	1.92	139.68
व्यय धनराशि (अप्रैल से 20 जुलाई 2026 तक)	24.26	20.14	-	44.40
अवशेष धनराशि (20 जुलाई 2026 तक)	69.81	23.55	1.92	95.28

वित्त अधिकारी
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार

सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्
हरिद्वार